

અધ્યાય-III

અનુપાલના લેખાપરીક્ષા

अध्याय-III अनुपालना लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग (हिमाचल प्रदेश पशुधन एवं पौल्ट्री विकास बोर्ड)

3.1 लिक्विड नाइट्रोजन गैस के उत्पादन पर परिहार्य व्यय

2008-14 के दौरान विभाग द्वारा इसके अपने संयंत्रों के माध्यम से उत्पादित लिक्विड नाइट्रोजन गैस के उपयोग पर ₹ 1.85 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया था।

फ्रोजन सीमेन स्ट्रा के परिरक्षण हेतु वीर्य बैंक की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य में जून 1986 से सितम्बर 2002 के मध्य ₹ 2.85 करोड़ की लागत पर सात लिक्विड नाइट्रोजन गैस संयंत्र¹ अधिष्ठापित किए गए थे।

निदेशक, पशुपालन एवं सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश पशुधन एवं पौल्ट्री विकास बोर्ड के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2013) और एकत्रित सूचना (अप्रैल-जून 2014) ने दर्शाया कि विभाग द्वारा जुलाई 2008 और जून 2011 के मध्य चार अनुप्रयोगी/निष्क्रिय लिक्विड नाइट्रोजन गैस संयंत्र² बंद कर दिए गए थे। शेष तीन संयंत्रों³ ने 2008-14 के दौरान ₹ 2.72 करोड़ की लागत पर 5.71 लाख लीटर लिक्विड नाइट्रोजन गैस का उत्पादन किया था। विभाग ने उपरोक्त अवधि के दौरान निजी आपूर्तिकर्ताओं⁴ से ₹ 2.80 करोड़ की लागत पर 18.41 लाख लीटर लिक्विड नाइट्रोजन गैस भी खरीदी थी। विभाग द्वारा उत्पादित गैस की औसत लागत की गणना ₹ 47.63 प्रति लीटर की गई थी जोकि निजी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई गैस की औसत लागत (₹ 15.21 प्रति लीटर) की तुलना में गैस संयंत्रों की स्थापना और मरम्मत तथा अनुरक्षण की उच्च लागत के कारण अत्यंत उच्च थी। स्पष्ट रूप से विभाग ने औसतन ₹ 1.85 करोड़⁵ का अतिरिक्त व्यय किया जोकि परिहार्य था।

निदेशक ने बताया (अप्रैल 2014) कि पुराने लिक्विड नाइट्रोजन गैस संयंत्र आपातकाल में गैस की आपूर्ति हेतु आवश्यक थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने बाजार में गैस की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद अपने संयंत्र में गैस का उत्पादन जारी रखा था जोकि महंगा था।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जून 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

¹	भंगरोडु, चम्बा, घनाहट्टी, ज्यूरी, पालमपुर, सोलन तथा ताल
²	चम्बा, घनाहट्टी, ज्यूरी तथा ताल
³	भंगरोडु, पालमपुर तथा सोलन
⁴	मैसर्ज रॉयल एयर प्रोडक्ट्स, हरिद्वार, मैसर्ज अजय एयर प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, ओखला तथा मैसर्ज रिजेंट एयर प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, गुडगांव
⁵	संयंत्रों में उत्पादित गैस की औसत लागत:
	₹ 2,72,00,000 = ₹ 47.63 प्रति लीटर
	5,71,000
	विभाग द्वारा खरीदी गई गैस की औसत लागत:
	₹ 2,80,00,000 = ₹ 15.21 प्रति लीटर
	18,41,000
	अंतर: ₹ 47.63 - ₹ 15.21 = ₹ 32.42 प्रति लीटर
	परिहार्य व्यय: 5,71,000 x ₹ 32.42 = ₹ 1,85,11,820 राउण्डिड टू ₹ 1.85 करोड़

प्राथमिक शिक्षा विभाग

3.2 रसोई शालिका-एवं-गोदामों के निर्माण में विलम्ब

मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत रसोई शालिका एवं गोदामों के निर्माण के लिए अनुचित योजना के परिणामस्वरूप 957 विद्यालयों को सुविधा की उपलब्धता में विलम्ब, अपूर्ण रसोई शालिकाओं पर ₹ 2.72 करोड़ का निष्फल व्यय और ₹ 3.18 करोड़ का अवरोधन हुआ।

विद्यालयों में मिड डे मील पकाने के लिए स्वच्छ स्थल और उचित भंडारण स्थान उपलब्ध करवाने हेतु प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मिड डे मील स्कीम) के अंतर्गत 2008-09 के दौरान ₹ 0.60 लाख और 2011-12 के दौरान ₹ 1.20 लाख प्रति रसोई शालिका एवं गोदाम की दर पर अनुदान उपलब्ध करवाया गया था। राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 (11,325 विद्यालयों को ₹ 67.95 करोड़) और 2011-12 (37 विद्यालयों को ₹ 0.44 करोड़) के दौरान 11,362 सरकारी प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों⁶ को ₹ 68.39 करोड़ जारी किये थे। 2008-09 के दौरान समस्त निधियां भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी तथा 2011-12 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में अंशदान किया गया था। रसोई शालिका एवं गोदाम का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान समिति के माध्यम से किया जाना था और तीन महीनों के अन्दर पूर्ण किया जाना अपेक्षित था।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2013) और एकत्रित सूचना (जनवरी एवं जुलाई 2014) ने दर्शाया कि ₹ 4.15 करोड़ की लागत के 681 रसोई शालिका एवं गोदाम का निर्माण ₹ 2.72 करोड़ खर्च करने के पश्चात भी निर्माण कार्यों की धीमी गति तथा अतिरिक्त निधियों की कमी के कारण अब भी प्रगति पर था। 11 जिलों⁷ में 276 रसोई शालिका एवं गोदामों (लागत ₹ 1.75 करोड़) का निर्माण कार्य निर्माण स्थल विवादों तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण जून 2014 तक आरम्भ भी नहीं किया गया था।

निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 2014) कि रसोई शालिका एवं गोदाम का निर्माण नहीं किया जा सका था क्योंकि सम्बंधित विद्यालय इस हेतु भूमि उपलब्ध करवाने में असफल रहे थे। उत्तर उचित नहीं है क्योंकि निर्माण की सम्भाव्यता निधियां जारी किये जाने से पूर्व वास्तविक रूप से आकलित की जानी चाहिए थी और इस आकलन में भूमि की स्पष्ट उपलब्धता प्रथम पूर्वापेक्षित होनी चाहिए थी।

अतः विभागीय स्तर पर अनुचित योजना के परिणामस्वरूप 957 विद्यालयों को रसोई शालिका एवं गोदामों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अनुबद्ध समय से दो से पांच वर्षों का विलम्ब और ₹ 3.18 करोड़ का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त अपूर्ण रसोई शालिका-एवं-गोदामों पर अब तक (जून 2014) उपयोग किए गए ₹ 2.72 करोड़ राशि की निधियां निष्फल सिद्ध हुई थी।

लेखापरीक्षा परिणाम सरकार को अप्रैल 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

⁶ प्राथमिक: 7150 तथा माध्यमिक: 4212

⁷ बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और स्पिति, मण्डी, शिमला, सोलन तथा ऊना

वन विभाग

3.3 वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम का कार्यान्वयन

2011-14 के दौरान ₹ 1.74 करोड़ की गैर-प्रयुक्ति और ₹ 1.02 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की गैर-प्रस्तुती के कारण राज्य ₹ 3.27 करोड़ की केन्द्रीय निधियों से वंचित रहा। उपरोक्त अवधि के दौरान आगजनी नियंत्रण गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 10 से 33 प्रतिशत के मध्य थी। फरवरी 2011 से नवम्बर 2012 के मध्य निष्पादन हेतु आरम्भ किया गया तीन भवनों का निर्माण (संस्वीकृत लागत ₹ 0.43 करोड़) ₹ 0.36 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण था।

भारत सरकार द्वारा प्रभावशाली वन संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एकीकृत वन संरक्षण स्कीम को संशोधित कर (अगस्त 2009) वर्तमान तीन⁸ संघटकों में चार⁹ नए संघटक जोड़कर इसे वन प्रबंधन के तीव्रीकरण की स्कीम के रूप में पुनर्नामित किया। 2011-12 से 2013-14 की अवधि को आवृत्त करती स्कीम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा जनवरी 2014 और मार्च 2014 के मध्य स्कीम के नोडल अधिकारी के रूप में कार्यालय मुख्य अरण्यपाल (वन सुरक्षा), बिलासपुर और 46 वन मण्डलों में से 15 में संचालित की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

3.3.1 योजना एवं वित्तीय प्रबंधन

3.3.1.1 प्रचालनों की वार्षिक योजना, निधियों की उपलब्धता और किया गया व्यय

स्कीम के दिशा-निर्देश राज्य वन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई प्रचालनों की अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के अनुसार राज्य को निधियों की संस्वीकृति/जारी करने का प्रावधान करते हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य (विशेष श्रेणी राज्य होते हुए) को प्रचालनों की अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के 90 प्रतिशत की सीमा तक सहायता उपलब्ध करवाई जानी थी और शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जानी थी। भारत सरकार के अंशदान का 80 प्रतिशत तक आरम्भ में जारी किया जाना था और शेष राशि प्रथम किस्त की राशि के 50 प्रतिशत के उपयोग की प्रस्तुती पर जारी की जानी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 2011-14 के दौरान ₹ 13.78 करोड़ (भारत सरकार का अंशदान: ₹ 12.41 करोड़ और राज्य का अंशदान: ₹ 1.37 करोड़) के प्रचालनों की अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के प्रति भारत सरकार ने ₹ 9.14 करोड़ और राज्य सरकार ने ₹ 1.17 करोड़ जारी किये थे। उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 3.27 करोड़ की भारत सरकार द्वारा निधियों के अल्प जारीकरण विगत वर्षों से उपयोग नहीं की गई निधियों के अंतरण, उपयोगिता प्रमाणपत्रों की गैर-प्रस्तुती और भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्रों¹⁰ की प्रस्तुती में विलम्ब के कारण था।

⁸ वन आग नियंत्रण तथा प्रबंधन, अवसंरचना की मजबूती और सर्वेक्षण, सीमांकन तथा कार्य योजना बनाना

⁹ पवित्र वृक्ष समूहों की सुरक्षा तथा संरक्षण, विशिष्ट वनस्पति तथा पारिस्थितिकी का संरक्षण तथा पुनर्स्थापन, वन आक्रामक प्रजातियों का नियंत्रण तथा उन्मूलन और बांस पुष्पीकरण की चुनौती पूरी करने तथा बांस वनों के प्रबंधन के लिए तैयार रहना

¹⁰ उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने की तिथि (2011-12: 08 मई 2012, 2012-13: 2 मई 2013 एवं 2013-14: 06 मई 2014)

- 2011-14 के दौरान राज्य वन विभाग ने ₹ 12.05 करोड़ की उपलब्धता के प्रति ₹ 11.26 करोड़ का व्यय किया था। ₹ 1.74 करोड़ (2010-11: ₹ 0.97 करोड़, 2011-12: ₹ 0.75 करोड़ तथा 2012-13: ₹ 0.02 करोड़) के केन्द्रीय अंशदान के अंतर्गत अव्ययित शेष को पुनः सत्यापित कर आगामी वित्त वर्ष में ले जाया गया था तथा जुलाई 2014 तक राज्य सरकार के पास ₹ 0.02 करोड़ पड़े थे।
- ₹ 11.26 करोड़ के व्यय के प्रति भारत सरकार को मात्र ₹ 10.24 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए थे। 2011-13 के दौरान प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र जो प्रत्येक वर्ष आगामी वर्ष की 15 जनवरी को या पहले प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित होते हैं, भारत सरकार को 113 और 106 दिनों के विलम्ब के पश्चात प्रेषित किए गए थे।

नोडल अधिकारी ने बताया (मार्च 2014) कि भारत सरकार को प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई थी और क्षेत्रीय कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण ये भारत सरकार को समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य वन विभाग ने अनुमोदित प्रचालनों की वार्षिक योजनाओं की सीमा तक भी निधियों का उपयोग नहीं किया था।

3.3.1.2 प्रचालनों की वार्षिक योजनाओं की प्रस्तुती/अनुमोदन में विलम्ब

स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य वन विभाग से भारत सरकार को एक विशेष वित्तीय वर्ष हेतु प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दिसम्बर अंत तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। तथापि यह पाया गया था कि 2011-14 के दौरान विभाग ने 101 से 179 दिनों के विलम्ब के पश्चात प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत की थी जिसके अनुक्रम में भारत सरकार से निधियों के जारीकरण में विलम्ब हुआ। नोडल अधिकारी ने बताया (जनवरी 2014) कि प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के कारण भारत सरकार को देय तिथि पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी।

3.3.1.3 नवीन संघटकों के लिए विशिष्ट योजना का न बनाया जाना

स्कीम के दिशा-निर्देशों का परिच्छेद 6 (ख) चार नवीन संघटकों में प्रत्येक के लिए अलग-अलग प्रस्ताव बनाये जाने और प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य वन विभाग ने 2011-12 के दौरान 'पवित्र वृक्ष समूहों की सुरक्षा तथा संरक्षण' संघटक के अंतर्गत ₹ 3.00 लाख की अल्प राशि के प्रस्ताव को छोड़कर 2011-14 के दौरान नवीन संघटकों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये थे। स्पष्ट रूप से स्कीमों के नवीन संघटकों के अंतर्गत परिकल्पित गतिविधियाँ¹¹ राज्य में कार्यान्वित नहीं की गई थी। नोडल अधिकारी ने बताया (जुलाई 2014) कि प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार भारत सरकार को प्रेषित की जा रही हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य वन विभाग ने वन सुरक्षा और वन स्थिति में सुधार से सम्बंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों को अनदेखा किया था।

¹¹

1. पवित्र वनों, वनस्पति एवं जीव-जन्तु की सूचियों तथा सुधारात्मक निर्माण कार्यों की प्रबन्धन योजना के लिए एक विस्तृत प्रलेख
2. विशिष्ट, स्थानीय तथा अत्यंत मूल्यवान प्रकार की वनस्पतियों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए प्रबन्धन, सर्वेक्षण/सूची, संचारण, अवसंरचना, आदि 3. वन आक्रामक प्रजातियों की रोकथाम तथा अनुसंधान के कार्य और 4. बांस क्षेत्रों का असंकुलन, निस्सारण मार्गों को बिछाना तथा अनुरक्षण, आदि

3.3.2 गतिविधियों का निष्पादन

3.3.2.1 वन्य आग नियंत्रण और प्रबंधन

2011-14 के दौरान वन्य आग नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत वस्तुगत और वित्तीय लक्ष्यों (प्रचालनों की वार्षिक योजनाएं) की उपलब्धियों के गतिविधि-वार विवरण तालिका-3.3.1 में दिये गये हैं।

तालिका- 3.3.1
2011-14 के दौरान गतिविधि-वार लक्ष्य और उनके प्रति उपलब्धियां

(₹ करोड़)

क्रमांक	गतिविधि	2011-14						
		इकाइयां	लक्ष्य		उपलब्धियां		कमी	
			वस्तुगत	वित्तीय	वस्तुगत	वित्तीय	वस्तुगत	वित्तीय
1.	फायर लाईन अनुरक्षण	कि०मी०	3700	0.95	2961	0.75	739 (20)	0.20 (21)
2.	फायर लाईन का सृजन	कि०मी०	400	1.00	316	0.78	84 (21)	0.22 (22)
3.	फायर वाचर्स		167800	2.02	143686	1.82	24114 (14)	0.20 (10)
4.	जल भंडारण संरचनाएं	संख्या	48	0.72	41	0.58	7 (15)	0.14 (19)
5.	फायर फाइटिंग उपकरण ¹²	संख्या	--	0.60	--	0.48	--	0.12 (20)
6.	फायर मैपिंग/योजनाएं	एल एस	40	0.10	31	0.07	9 (23)	0.03 (30)
7.	प्रशिक्षण एवं जागरूकता	एल एस	--	0.24	212	0.19	--	0.05 (21)
8.	कंट्रोल बर्निंग	हेक्टेयर	3000	0.15	4068	0.17	1068 (+36)	0.02 (+13)
9.	संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को सहायता	संख्या	500	0.40	539	0.27	39 (+8)	0.13 (33)
10.	टैक्सियां किराये पर लेना	एल एस	--	--	--	0.02	--	0.02 (+100)
11.	होमगार्डों की तैनाती	संख्या	--	--	--	0.01	--	0.01 (+100)
योग			--	6.18	--	5.14		

स्रोत: विभाग द्वारा आपूर्ति सूचना

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

उपरोक्त तालिका 3.3.1 से देखा जा सकता है कि:

- 2011-14 के दौरान कंट्रोल बर्निंग तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को सहायता को छोड़कर सभी गतिविधियों के सम्बंध में वस्तुगत लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी प्रतिशतता 14 से 23 के मध्य थी और जहां तक वित्तीय लक्ष्यों की बात है कंट्रोल बर्निंग को छोड़कर यह 10 से 33 के मध्य थी।
- 2011-14 के दौरान विभाग ने अनुमोदित प्रचालनों की वार्षिक योजनाओं में बिना किसी प्रावधान के दो गतिविधियों अर्थात् टैक्सियां किराये पर लेना तथा होमगार्डों की तैनाती पर ₹ 0.02 करोड़ का व्यय किया था।

अतः उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य वन विभाग द्वारा गतिविधियां प्रभावशाली रूप से निष्पादित नहीं की जा रही थी। पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता को लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी का कारण बताया गया।

3.3.2.2 वन सुरक्षा की अवसंरचना का सुदृढीकरण

स्कीम के दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुसार वन सुरक्षा हेतु अवसंरचना के सुदृढीकरण संघटक में वन सुरक्षा कार्यालय के लिए भवनों, वन क्षेत्रीय स्टाफ के आवास, ट्रांजिट कैंपों, निरीक्षण कुटीरों, वन सड़कों, निरीक्षण मार्गों के निर्माण की गतिविधियां, वाहनों की खरीद, ग्लोबल पोजिसनिंग प्रणाली, आदि सम्मिलित हैं। निम्नवत् कमियां पाई गई थी:

¹²

आग उन्मूलक, रेकर्स, फायर ब्रूम, फायर बीटर, पोलस्की आदि

(i) प्रचालनों की वार्षिक योजनाओं के प्रति उपलब्धियां

- 2011-14 के दौरान राज्य वन विभाग ने अनुमोदित प्रचालनों की वार्षिक योजनाओं में उल्लिखित 280 ग्लोबल पोजिसनिंग प्रणाली के लक्ष्य के प्रति ₹ 0.25 करोड़ के व्यय से 210 ग्लोबल पोजिसनिंग प्रणाली प्राप्त की थी, परिणामस्वरूप 70 ग्लोबल पोजिसनिंग प्रणाली की कमी हुई थी। कमी उपरोक्त अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा अंतिम किस्त जारी न किये जाने के कारण थी।
- 2011-14 के दौरान ₹ 0.30 करोड़ की अनुमानित लागत पर 75 किलो मीटर के निर्माण के लक्ष्य के प्रति ₹ 0.24 करोड़ के व्यय से 59 किलो मीटर वन सड़कों/ मार्गों का निर्माण किया गया था। शेष सड़कों/मार्गों का निष्पादन निधियों की कमी के कारण आरम्भ नहीं किया गया था क्योंकि उपरोक्त अवधि के दौरान भारत सरकार ने अंतिम किस्त जारी नहीं की थी।
- 2011-14 के दौरान 65 भवनों (कार्यालय भवन: 15 तथा जांच चौकियां/दल कुटीर: 50) के निर्माण के लक्ष्यों के प्रति 48 भवनों (कार्यालय भवन: 10 तथा जांच चौकियां/दल कुटीर: 38) का निर्माण हाथ में लिया गया था। निधियों की कमी के कारण मार्च 2014 तक शेष 17 भवनों का निष्पादन आरम्भ नहीं किया गया था। यद्यपि निष्पादन के लिए आरम्भ किए गए सभी भवनों को ₹ 3.42 करोड़ के व्यय पर पूर्ण किया बताया गया था, तथापि नोडल अधिकारी ने उनके निष्पादन का उचित अनुश्रवण नहीं किया था क्योंकि कुछ भवनों का निर्माण अपूर्ण था जैसाकि उत्तरवर्ती उप-परिच्छेदों में इंगित किया गया है।

(ii) अपूर्ण भवन निर्माण कार्य

15 नमूना जांचित मण्डलों में से दो (बिलासपुर तथा धर्मशाला) में तीन भवनों¹³ का निर्माण ₹ 43.20 लाख की अनुमानित लागत पर आरम्भ किया गया था (फरवरी 2011 और नवम्बर 2012 के मध्य)। राज्य वन विभाग ने उनके निर्माण पर ₹ 35.90 लाख का व्यय किया था लेकिन ये मार्च 2014 तक निधियों की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण थे। स्पष्ट रूप से विभाग ने पर्याप्त निधियां सुनिश्चित किये बिना निर्माण कार्य आरम्भ किया था। भवनों की अपूर्णता के परिणामस्वरूप ₹ 35.90 लाख का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी की संशोधित अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्य अरण्यपाल कार्यालय के निर्माण पर ₹ 4.97 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ था जोकि अनियमित था।

(iii) वाहनों का प्रतिस्थापन

प्रभावशाली वन प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने स्कीम के अंतर्गत अग्रपंक्ति स्टाफ (रेंज अधिकारी) को उपलब्ध करवाने हेतु चार वाहनों की खरीद के लिए ₹ 24.00 लाख की स्वीकृति दी थी (मार्च 2011)। वाहनों की खरीद केन्द्र (90 प्रतिशत) और राज्य (10 प्रतिशत) के मध्य लागत अंशदान आधार पर की जानी थी। भारत सरकार ने साथ ही साथ इसके लिए ₹ 21.60 लाख जारी किये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य वन विभाग ने विभाग के चार पुराने वाहनों (जिप्सी वाहन) के प्रतिस्थापन के रूप में ₹ 22.40 लाख की लागत पर चार बोलेरो जीप खरीदी थी (मार्च 2012) और इन्हें अग्रपंक्ति स्टाफ के स्थान पर वन मण्डल अधिकारियों¹⁴ के साथ लगा दी थी। अतः उपरोक्त निर्देशों के विपरीत ₹ 22.40 लाख का व्यय अनियमित था।

¹³ मुख्य अरण्यपाल का कार्यालय भवन (अनुमानित लागत: ₹16.53 लाख), रेंज कार्यालय का कार्यालय भवन (अनुमानित लागत: ₹19.73 लाख) और दल कुटीर बिलासपुर स्थित कुठारना धर्मशाला (अनुमानित लागत: ₹6.94 लाख)

¹⁴ पांवटा, नालागढ़, उड़न दस्ता बिलासपुर तथा हमीरपुर

अरण्यपाल (वित्त) ने बताया कि वाहन वन मण्डल अधिकारियों जोकि राज्य वन विभाग की अग्रपंक्ति इकाई हैं, के साथ न्यायसम्मत रूप से संलग्न किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अग्रपंक्ति स्टाफ में मात्र रेंज अधिकारी शामिल होते हैं।

3.3.3 समीक्षा तथा अनुश्रवण समिति का गठन न होना

दिशा-निर्देशों का परिच्छेद 11 स्कीम की आवधिक समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल की अध्यक्षता के तहत एक समीक्षा तथा अनुश्रवण समिति के गठन का प्रावधान करता है जिसमें मुख्य अरण्यपाल (मुख्यालय) इसके सदस्य सचिव और अरण्यपाल सदस्य होंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में मार्च 2014 तक समीक्षा तथा अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया था जिसने दर्शाया कि स्कीम के अंतर्गत प्रगति की प्रभावशाली समीक्षा/अनुश्रवण नहीं किया गया था। नोडल अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2014) कि समीक्षा तथा अनुश्रवण समिति का गठन शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

अतः वन प्रबंधन के तीव्रीकरण स्कीम के अंतर्गत 2011-14 के दौरान ₹ 1.74 करोड़ के गैर-प्रयुक्त और ₹ 1.02 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की गैर-प्रस्तुती से राज्य ₹ 3.27 करोड़ की केन्द्रीय निधियों से वंचित रहा। उपरोक्त अवधि के दौरान आग नियंत्रण गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी 10 से 33 प्रतिशत के मध्य थी।

लेखापरीक्षा परिणाम अगस्त 2014 में सरकार को संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.4 जन स्वास्थ्य अवसंरचना के गैर-सृजन के कारण निधियों का अवरोधन

निधियों के आहरण से पूर्व बाधा रहित निर्माण स्थलों तथा संहिताबद्ध औपचारिकताओं की पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप एक से 12 वर्षों के मध्य की अवधि के लिए जन स्वास्थ्य अवसंरचना का गैर-सृजन और ₹ 6.54 करोड़ की राशि की निधियों का अवरोधन हुआ।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली का नियम 2.10 (ख) 5 अनुबद्ध करता है कि कोषागार से धन का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक यह तत्काल संवितरण हेतु अपेक्षित न हो। इसी प्रकार उन निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए भी कोषागार से अग्रिमों के आहरण की अनुमति नहीं है, जिनकी पूर्णता में अधिक समय लगने की सम्भावना है।

राज्य सरकार ने 2001-02 से 2011-12 के मध्य स्वास्थ्य उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आदि के 19 भवनों¹⁵ के निर्माण हेतु ₹ 8.06 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की थी। निर्माण कार्य संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किये जाने के लिए अनुबद्ध थे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर, कांगड़ा तथा सिरमौर के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013-जनवरी 2014) तथा आगे एकत्रित सूचना (जुलाई-अगस्त 2014) से पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने दिसम्बर 2006 से सितम्बर 2013 के मध्य पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तीन सामुदायिक

¹⁵

बिलासपुर: चार; कांगड़ा: तीन तथा सिरमौर: 12

स्वास्थ्य केन्द्रों, आठ स्वास्थ्य उप-केन्द्रों, दो शवगृहों एवं एक बाह्य रोगी विभाग खण्ड के निर्माण के लिए ₹ 6.58 करोड़¹⁶ आहरित किए थे और इस राशि को निष्पादन अधिकरणों (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग: ₹ 4.76 करोड़ तथा भारत संचार निगम लिमिटेड: ₹ 1.82 करोड़) के पास जमा करवाये निर्माण कार्यों का निष्पादन अगस्त 2014 तक भूमि की अनुपलब्धता/हस्तांतरण (10 मामले), भूमि विवाद (दो मामले), अस्पष्ट निर्माण स्थल (एक मामला) और निविदाओं¹⁷ को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब (छ: मामले) के कारण आरम्भ नहीं किया गया था, यद्यपि 2006-14 के दौरान निष्पादन अधिकरणों द्वारा इन निर्माण कार्यों की प्रारम्भिक मदों पर ₹ 0.04 करोड़ की राशि व्ययित की गई थी। स्पष्ट रूप से कोषागार से निधियों उपरोक्त राज्य वित्तीय नियम के प्रावधान के विपरीत वास्तविक आवश्यकता के अग्रिम में आहरित की गई थी जिससे विभागीय स्तर पर अनुचित योजना प्रदर्शित हुई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2013 तथा अगस्त 2014) निधियों का आहरण राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति के अनुसार किया गया था। आगे यह भी बताया गया था कि निर्माण कार्य उचित निर्माण स्थल की अनुपलब्धता, भूमि विवादों, संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता, आदि के कारण आरम्भ नहीं किए जा सके थे। उत्तर इसकी व्याख्या नहीं करते कि उपयुक्त/बाधा रहित निर्माण स्थल की उपलब्धता और संहिताबद्ध औपचारिकताओं का अनुसरण सुनिश्चित किये बिना निधियों का अग्रिम आहरण क्यों किया गया था।

अतः निधियों के आहरण से पूर्व बाधा रहित निर्माण स्थल और संहिताबद्ध औपचारिकताओं की पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप जन स्वास्थ्य अवसंरचना का गैर-सृजन तथा एक से 12 वर्षों के मध्य की अवधि के लिए ₹ 6.54 करोड़ की राशि की निधियों का अवरोधन हुआ जिससे सामान्य जनता अभिप्रेत लाभों से वंचित रही। इसके अतिरिक्त 2010-14 के दौरान राशि को सरकारी खाते से बाहर भारत संचार निगम लिमिटेड के पास रखने के कारण राज्य सरकार को ₹ 31.14 लाख¹⁸ की ब्याज हानि हुई।

लेखापरीक्षा परिणाम सरकार को मई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

3.5 ट्रामा केन्द्रों की स्थापना

आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं तथा विशेषज्ञ श्रमशक्ति उपलब्ध करवाने में विभाग की असफलता और योजना की कमी के कारण ₹ 3.24 करोड़ की लागत पर निर्मित ट्रामा केन्द्र पूरी तरह से क्रियाशील नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने केन्द्रीकृत प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट स्थित सरकारी अस्पताओं में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन तथा सशक्तीकरण हेतु बिलासपुर में एक ट्रामा केन्द्र की स्थापना के लिए ₹ 1.50 करोड़ की संस्वीकृति (मई 2007) इसे संस्वीकृति की तिथि से दो वर्षों के भीतर पूर्ण किये जाने की शर्त पर दी थी। निधियों का व्यय सिविल कार्यों के निष्पादन (₹ 63.00 लाख), दो एम्बुलेंसों (₹ 20.00 लाख), उपकरणों (₹ 66.00 लाख) की खरीद तथा संचार प्रणाली की स्थापना (₹ 1.00 लाख) पर किया जाना था। राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत (सितम्बर 2008)

¹⁶ बिलासपुर: ₹ 2.29 करोड़; कांगड़ा: ₹ 1.32 करोड़ तथा सिरमौर: ₹ 2.97 करोड़

¹⁷ ड्राइंगों को अंतिम रूप न दिया जाना, अनुमानों का संशोधन, आदि

¹⁸ राज्य सरकार उधारों पर औसत ब्याज दर पर आकलित

किये गये संशोधित प्राक्कलनों के आधार पर ट्रामा केन्द्र भवन के निर्माण के लिए ₹ 2.00 करोड़ (केन्द्र: ₹ 0.63 करोड़ तथा राज्य: ₹ 1.37 करोड़) का अनुमोदन (नवम्बर 2011) प्रदान किया। तथापि इसकी पूर्णता की संशोधित समय सीमा संशोधित अनुमोदन में अनुबद्ध नहीं की गई थी। ट्रामा केन्द्र के लिए विशेषज्ञ श्रमशक्ति¹⁹ विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जानी थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादन के लिए सिविल निर्माण कार्य निक्षेप निर्माण कार्यों के रूप में सितम्बर 2008 में हाथ में लिया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2014) तथा आगे एकत्रित सूचना (जून 2014) ने दर्शाया कि लोक निर्माण विभाग ने ₹ 2.35 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 0.63 करोड़ तथा राज्य: ₹ 1.72 करोड़) का व्यय करने के पश्चात भवन का निर्माण जून 2012 में पूर्ण किया। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई अतिरिक्त निधियां अन्य चल रहे निर्माण कार्यों से अपवर्तित की गई थी। विभाग द्वारा ट्रामा केन्द्र को चलाने के लिए जून 2012 तक ₹ 10.36 लाख की लागत पर एक एम्बुलेंस और ₹ 78.82 लाख की लागत पर मशीनरी एवं उपकरण भी खरीदे गये थे। तथापि यह पाया गया था कि ट्रामा केन्द्र को पूर्णतः क्रियाशील बनाने के लिए अपेक्षित नियमित विशेषज्ञ श्रमशक्ति²⁰ जून 2014 तक उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन थियेटर, रैंप तथा लिफ्ट जो मूल योजना में सम्मिलित नहीं थे, समेत आधारभूत अवसंरचना सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। यह विभागीय स्तर पर उपयुक्त योजना की कमी दर्शाता है। परिणामस्वरूप ट्रामा केन्द्र विगत दो वर्षों से पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं किया गया था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (जून 2014) कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ऑपरेशन थियेटर के प्रारूप अनुमोदन के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित किए गए थे। उन्होंने आगे बताया कि मशीनरी एवं उपकरण ट्रामा रोगियों के अतिरिक्त सामान्य रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयोग किए जा रहे थे और क्षेत्रीय अस्पताल, बिलासपुर के विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएं ट्रामा रोगियों के लिए भी ली जा रही थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ट्रामा केन्द्र की स्थापना का मूल लक्ष्य अप्राप्य रहा था।

अतः आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं तथा विशेषज्ञ श्रमशक्ति उपलब्ध करवाने में विभाग की असफलता और योजना की कमी के कारण ₹ 3.24 करोड़ की लागत पर निर्मित ट्रामा केन्द्र पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं किया गया था, जिससे इसका वास्तविक लक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुआ।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

उच्च शिक्षा विभाग

3.6 शिक्षकों के वेतन पर अनुचित व्यय

विद्यालयों के उन्नयन और विज्ञान तथा वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने हेतु मानदण्डों का पालन करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप शिक्षकों के वेतन पर ₹ 1.43 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ।

हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता, 2001 के परिच्छेद 2.8.3.2 (3) के अनुसार विद्यालय में विज्ञान तथा वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने के लिए न्यूनतम 100 विद्यार्थियों का पंजीकरण आवश्यक है। निदेशक,

¹⁹ एनेस्थिस्ट, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, ऑर्थो-विशेषज्ञ तथा सहायक स्टॉफ

²⁰ एनेस्थिस्ट, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, ऑर्थो-विशेषज्ञ

उच्च शिक्षा ने आगे निर्देश जारी किये थे (अप्रैल 2009) कि विज्ञान तथा वाणिज्य समूह तभी आरम्भ किए जाएं जब 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी विद्यालय में ये समूह उपलब्ध नहीं होंगे। उन मामलों में जिनमें ये समूह पहले से कार्य कर रहे थे, वहां तीन निरंतर वर्षों में पंजीकरण 30 विद्यार्थियों से कम नहीं होना चाहिए और यदि पंजीकरण लगातार कम रहता है निदेशक, उच्च शिक्षा से इन समूहों को नियमित रखने के लिए आवश्यक अनुमति ली जानी चाहिए और ऐसी अनुमति लिए बिना इन समूहों में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सप्ताह में 54 पीरियड (छः दिनों के लिये निर्दिष्ट समय के नौ पीरियड) होंगे और संस्थान की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक को अन्य प्रशासनिक एवं सह-पाठ्य गतिविधियों सहित न्यूनतम 36 पीरियड्स (एक हफ्ते के छः दिनों के लिए प्रति दिन छः पीरियड) सौंपे जायेंगे।

प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, माताहानी, जिला हमीरपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013) तथा प्राप्त की गई सूचना (जनवरी 2014) ने दर्शाया कि विद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2006-07 से माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक में उन्नयन किया गया था (जनवरी 2006)। तथापि 2006-14 के दौरान 10+1 तथा 10+2 में विज्ञान समूह के अंतर्गत पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या शून्य से 19 के मध्य थी जबकि वाणिज्य समूह में यह शून्य से 16 के मध्य थी। संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, माताहानी के 10 किलो मीटर के दायरे के भीतर विज्ञान तथा वाणिज्य समूह उपलब्ध करवाने वाले तीन²¹ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और अन्य निजी रूप से प्रबंधित विद्यालयों के विद्यमान होने के बावजूद विज्ञान तथा वाणिज्य समूह आरम्भ किए गए थे और ये समूह (जनवरी 2014) आठ वर्षों तक निरंतर कम पंजीकरण के बाद भी जारी रखे गए थे, वो भी निदेशक, उच्च शिक्षा से स्वीकृति लिए बिना। आगे यह भी पाया गया कि 2007-14 के दौरान (दिसम्बर 2013 तक) 36 पीरियड के अपेक्षित न्यूनतम शिक्षण कार्यभार के प्रति विज्ञान तथा वाणिज्य समूहों के छः शिक्षकों को सह-पाठ्य गतिविधियों सहित मात्र 26 पीरियड सौंपे गए थे। अतः मार्च 2008 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान विज्ञान तथा वाणिज्य संकायों के शिक्षकों के वेतन पर किया गया ₹ 1.43 करोड़ का व्यय पूर्णतया अनुचित रहा।

प्राचार्य ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 2014) कि विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय जनता की मांग और भविष्य में पंजीकरणों में वृद्धि की प्रत्याशा पर चल रही थी। प्राचार्य का उत्तर निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम लगातार कम पंजीकरणों तथा आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना चल रहे थे।

अतः नवीन समूह आरम्भ करने के लिए मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम अप्रैल 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

²¹ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अमरोह, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हमीरपुर तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक (बाल) विद्यालय, हमीरपुर

उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

3.7 छात्रावासों तथा आवासीय निवास के निर्माण पर निष्फल व्यय

आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना अनुचित स्थानों पर छात्रावासों तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के परिणामस्वरूप उनका कम/गैर-उपयोग हुआ और ₹ 1.72 करोड़ का व्यय बड़े पैमाने पर निष्फल रहा।

(i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के पुरुष छात्रों को छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश आवासीय एवं शहरी विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 1.52 करोड़²² की लागत पर क्रमशः राजकीय महाविद्यालय, बासा (जिला मण्डी) और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम (जिला किन्नौर) में दो छात्रावास निर्मित किए गए थे (2008-09) और सितम्बर 2010 में उपरोक्त वर्णित संस्थानों को हस्तांतरित किए गए थे। इन भवनों के निर्माण के लिए निधियां सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी।

निदेशक, उच्च शिक्षा (नवम्बर 2011) और प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम (नवम्बर 2013) के अभिलेखों की संवीक्षा तथा आगे एकत्रित सूचना (दिसम्बर 2013) ने दर्शाया कि 2010-13 के दौरान राजकीय महाविद्यालय, बासा में 180 (वार्षिक अंतर्ग्रहण क्षमता: 60) विद्यार्थियों की क्षमता के प्रति मात्र 49 विद्यार्थियों²³ को छात्रावास रिहायिश आवंटित की गई थी। दिसम्बर 2013 तक अनुसूचित जाति वर्ग के मात्र चार विद्यार्थियों, जिनके लिए छात्रावास का निर्माण किया गया था, ने छात्रावास रिहायिश के लिए आवेदन किया था जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम में किसी भी विद्यार्थी ने छात्रावास रिहायिश के लिए आवेदन नहीं किया था। छात्रावास कम-प्रयुक्त/ अप्रयुक्त रहे क्योंकि ये मात्र स्थानीय विद्यार्थियों द्वारा प्राथमिकता दिये गए विद्यालय/महाविद्यालय में निर्मित किए गए थे।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम तथा राजकीय महाविद्यालय, बासा के प्राचार्यों ने छात्रावास रिहायिशों के कम/गैर-प्रयोग का कारण मुख्यतः छात्रों का निकटवर्ती स्थानों से आना बताया था (नवम्बर-दिसम्बर 2013)। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि ये सभी पहलू इन छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने से पहले ध्यान में रखे जाने चाहिए थे। प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम ने यह भी बताया कि छात्रावास में कक्षाएं तथा प्रयोगशाला चलाई जा रही हैं क्योंकि शिक्षण-कक्षों की कमी थी। यह उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कक्षाएं तथा प्रयोगशाला को छात्रावास कक्षों में चलाना उचित नहीं था क्योंकि छात्रावास कक्षों के परिमाण शिक्षण कक्षों तथा प्रयोगशाला की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।

(ii) प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम के अभिलेखों की आगे संवीक्षा (नवम्बर 2013) ने दर्शाया कि शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यशवंत गुरुकुल आवास योजना के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 19.50 लाख की लागत पर आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कराया गया था (2008-09) और सितम्बर 2010 में प्राचार्य को हस्तांतरित किए गए थे। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया था कि तीन वर्षों से अधिक की अवधि के बाद भी उपरोक्त वर्णित आवासीय

²² राजकीय महाविद्यालय, बासा: ₹ 1.09 करोड़ तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्नम: ₹ 43 लाख

²³ 2010-11: 11 (अनुसूचित जाति: एक, अन्य पिछड़ा वर्ग: दो तथा सामान्य: आठ); 2011-12: आठ (अन्य पिछड़ा वर्ग: तीन तथा सामान्य: पांच) तथा 2012-13: 30 (अनुसूचित जाति: तीन, अन्य पिछड़ा वर्ग: दो तथा सामान्य: 25)

क्वार्टर मूलभूत सुविधाओं की कमी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों से शिक्षकों के आने के कारण आवंटित नहीं किये गये थे।

प्राचार्य ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2013) कि आवासीय रिहायिशें आवंटित नहीं की जा सकी थी क्योंकि अधिकांश शिक्षक स्थानीय निवासी थे। प्राचार्य का उत्तर पुष्टि करता है कि आवासीय रिहायिश का निर्माण बताए गए लक्ष्य के सम्बंध में वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना किया गया था और इस प्रकार ₹ 19.50 लाख का समस्त व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

अतः वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना अनुचित स्थानों पर छात्रावासों तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के परिणामस्वरूप इनका कम/गैर-उपयोग हुआ और ₹ 1.72 करोड़ का व्यय अधिकांशतः निष्फल सिद्ध हुआ।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम अप्रैल 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

3.8 जलापूर्ति स्कीम की वृद्धि पर निष्फल व्यय

जलापूर्ति स्कीम, मूलधार कठांडा की वृद्धि पर किया गया ₹ 1.19 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि लाभार्थियों को परिकल्पित पर्याप्त पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

राज्य सरकार ने सात²⁴ ग्राम पंचायतों के 24 ग्रामों के 5039 व्यक्तियों को पेय जल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु जिला कुल्लू के निरमंड खंड में विद्यमान जलापूर्ति स्कीम, मूलधार कठांडा की वृद्धि (1978-79) के लिए नाबार्ड²⁵ की आर.आई.डी.एफ.²⁶-XIII के अंतर्गत ₹ 1.24 करोड़ हेतु प्रशासनिक अनुमोदन जून 2011 तक पूर्ण किए जाने की शर्त पर दिया (जून 2008) था। स्कीम की तकनीकी संस्वीकृति ₹ 1.20 करोड़²⁷ के लिए दी गई थी (सितम्बर से नवम्बर 2008 के मध्य)। कार्यक्षेत्र में दो अंतर्ग्रहण चैम्बरों, चार भंडारण टैंक²⁸, एक सैडिमेंटेशन टैंक (53000 लीटर), तीन इकाई फिल्टर बैड, चार स्टैंड पोस्ट का निर्माण और गैल्विनाइज्ड आयरन पाइपों²⁹ को बिछाना सम्मिलित था।

आनी मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) ने दर्शाया कि मार्च 2012 तक 2185 प्रवाही मीटर³⁰ गैल्विनाइज्ड पाइपों को बिछाना, दो अंतर्ग्रहण चैम्बर तथा एक स्टोरेज टैंक (7000 लीटर क्षमता) के निर्माण को छोड़कर मार्च 2012 तक स्कीम के समस्त घटक ₹ 1.19 करोड़ के व्यय से पूर्ण कर लिये गए थे। उपरोक्त घटक भूमि मालिकों द्वारा उनकी भूमि से गैल्विनाइज्ड पाइपों, आदि, के बिछाने के लिए आपत्तियों (मार्च 2012) के कारण निष्पादित नहीं किए गए थे। विभाग ने 2000 में प्राप्त किए गए

²⁴ अरसू, बारी, बहवा, भालसी, कोटे, निरमण्ड तथा निशानी

²⁵ कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

²⁶ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

²⁷ सितम्बर 2008: ₹ 59.99 लाख, अक्टूबर 2008: ₹ 39.31 लाख तथा नवम्बर 2008: ₹ 20.36 लाख

²⁸ क्षमता: 99000 लीटर, 60000 लीटर, 12300 लीटर तथा 7000 लीटर

²⁹ 15 मिलीमीटर डायामीटर: 6020 प्रवाही मीटर, 20 मिलीमीटर डायामीटर: 3750 प्रवाही मीटर, 25 मिलीमीटर डायामीटर: 2070 प्रवाही मीटर, 32 मिलीमीटर डायामीटर: 670 प्रवाही मीटर, 40 मिलीमीटर डायामीटर: 2671 प्रवाही मीटर, 50 मिलीमीटर डायामीटर: 2260 प्रवाही मीटर, 80 मिलीमीटर डायामीटर: 2020 प्रवाही मीटर, 100 मिलीमीटर डायामीटर: 7200 प्रवाही मीटर तथा 125 मिलीमीटर डायामीटर: 2000 प्रवाही मीटर

³⁰ गैल्विनाइज्ड आयरन पाइप 125 मिलीमीटर डायामीटर: 1100 प्रवाही मीटर तथा गैल्विनाइज्ड आयरन पाइप 100 मिलीमीटर डायामीटर: 1085 प्रवाही मीटर

पंचायत प्रस्तावों के आधार पर 2008 में स्कीम को अंतिम रूप दिया था और भूमि मालिकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र सुनिश्चित नहीं किए गए थे। कार्य मार्च 2012 से निलंबित स्थिति में पड़ा था और इस प्रकार स्कीम मार्च 2014 तक प्रचालनीय नहीं की गई थी।

मंडल के अधिशाषी अभियंता ने बताया (मार्च 2014) कि सम्बंधित ग्राम पंचायत से आवश्यक स्वीकृतियां पहले ही ले ली गई थी लेकिन भूमि मालिकों ने आपत्ति उठाई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को स्कीम आरम्भ करने से पूर्व भूमि मालिकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र सुनिश्चित करने चाहिए थे।

अतः भूमि का स्पष्ट मालिकाना हक सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप स्कीम समय पर पूर्ण नहीं की गई और ₹ 1.19 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त लाभार्थी पर्याप्त पेय जल की सुविधा से वंचित रहे।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

3.9 प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण पर निष्फल व्यय

मोचका खड़गा प्रवाह सिंचाई स्कीम के निष्पादन के लिए उचित योजना की कमी से लाभार्थियों को वांछित लाभ मुहैया करवाने में विलम्ब हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 1.02 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

जिला कुल्लू में कृषियोग्य कमांड क्षेत्र के 175.30 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए 11.260 किलोमीटर मोचका खड़गा प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण के लिए राज्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 49.71 लाख का व्यय किया गया था (1980-2003)। तथापि स्कीम के अंतर्गत निर्माण कार्य³¹ पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता और किया जा चुका कार्य वर्षा से नष्ट होने तथा फिसलनों से भरा होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका था। निर्माण कार्यों को रि-ग्रेड करने के लिए ₹ 51.59 लाख संस्वीकृत किए गये थे (नाबार्ड: नवम्बर 2002 में ₹ 46.59 लाख और एस.सी.एस.पी.³²: मार्च 2008 में ₹ 5.00 लाख)। निर्माण कार्य मार्च 2009 तक पूर्ण किये जाने के लिए अनुबद्ध थे।

आनी मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) ने दर्शाया कि अक्टूबर 2010 तक ₹ 1.02 करोड़³³ के कुल व्यय के साथ 55 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था (पत्तरा कटिंग 10579 प्रवाही मीटर; सी.सी. लाइनिंग: 4281 प्रवाही मीटर तथा स्रोत पर अस्थायी बांध: एक संख्या)। इसके बाद निधियों की अनुपलब्धता के कारण स्कीम परित्यक्त रही और इस बीच में किये गये निर्माण कार्य का भी अपक्षीणन हुआ। कार्य की आगे रि-ग्रेडिंग तथा शेष कार्य की पूर्णता के लिए मंडल ने अधीक्षण अभियंता, कुल्लू के अनुमोदन के लिए ₹ 1.48 करोड़³⁴ के संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किये थे (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) जो नवम्बर 2014 तक प्रतीक्षित थे। इसने इंगित किया कि स्कीम का निष्पादन उचित योजना के बिना आरम्भ किया गया था। इसके अतिरिक्त निधियां समयबद्ध रूप से जारी नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप स्कीम को समय पर क्रियाशील नहीं किया जा सका था।

³¹ पत्तरा कटिंग 11260 प्रवाही मीटर.; सी.सी. लाइनिंग: 11260 प्रवाही मीटर., आउटलेट: आठ संख्या, नाला क्रोसिंग: दो संख्या, स्रोत पर अस्थायी बांध: एक संख्या तथा हैड वियर: एक संख्या

³² अनुसूचित जाति उप योजना

³³ राज्य शीर्ष: ₹ 49.71 लाख; नाबार्ड: ₹ 47.12 लाख तथा अनुसूचित जाति उप योजना: ₹ 5.46 लाख

³⁴ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम: फरवरी 2014 में ₹ 0.92 करोड़ तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना: जनवरी 2014 में ₹ 0.56 करोड़

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंडल के अधिशाषी अभियंता ने बताया (मार्च 2014-नवम्बर 2014) कि निर्माण कार्य अपर्याप्त बजट प्रावधान तथा कठिन भौगोलिक दशाओं के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विभाग को समय पर स्कीम की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों की उचित योजना करनी चाहिए।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

3.10 उठाऊ जलापूर्ति स्कीम पर अनुत्पादक व्यय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विभागीय स्तर पर योजना में दूरदर्शिता की कमी के परिणामस्वरूप उठाऊ जलापूर्ति स्कीम अपूर्ण रही और ₹ 74.84 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ।

अली खड्ड से रोहिन (जिला बिलासपुर) तक उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के निर्माण हेतु ₹ 52.41 लाख के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति दी गई थी (मार्च 2007)। स्कीम रोहिन तथा इसके साथ लगे हुए ग्रामों के 1555 निवासियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई थी। यह प्रस्तावित था कि 5660 मीटर लम्बाई में ग्रेवटी मेन सहित उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण द्वारा स्रोत से पानी उठाया जाये। स्कीम को मार्च 2010 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य था।

बिलासपुर मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2014) ने दर्शाया कि स्कीम का निष्पादन सितम्बर 2009 में आरम्भ किया गया था और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 88 पर कन्दरौर पुल (सतलुज नदी पर) पर 460 मीटर की लंबाई में ग्रेवटी मेन के एक भाग को बिछाने को छोड़कर स्कीम के समस्त संघटक मार्च 2010 तक पूर्ण कर लिये गये थे। पुल के आर-पार ग्रेवटी मेन को बिछाने से सम्बंधित निर्माण कार्य इस तथ्य के कारण निष्पादित नहीं किया गया था कि विभाग ने इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति नहीं ली थी। आगे यह भी पाया गया था कि पुल की रेलिंगों से बाहर पाइपलाईन को फिक्स करने की स्कीम की रूपरेखा यथार्थतः उचित नहीं थी। रूपरेखा बनाते समय महत्वपूर्ण प्रभाव वाले वाटर हैमर पर विचार नहीं किया गया था और पुल की रेलिंगों पर पाइप लाईन को सहारा देना सुरक्षित नहीं था। मंडल ने अन्य निर्माण कार्यों की पूर्णता से तीन वर्षों के पश्चात् मई 2013 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से स्वीकृति मांगी थी जो प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)। परिणामस्वरूप स्कीम दिसम्बर 2014 तक प्रचालित नहीं की गई थी। इस बीच में स्कीम पर ₹ 74.84 लाख का व्यय किया जा चुका था।

मंडल के अधिशाषी अभियंता ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2014) कि कन्दरौर पुल पर ग्रेवटी मेन बिछाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से स्वीकृति की गैर-प्राप्ति के कारण स्कीम आरम्भ नहीं की जा सकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने निष्पादन के लिए स्कीम को आरम्भ करने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी और पुल पर ग्रेवटी मेन को बिछाने की त्रुटिपूर्ण रूपरेखा के कारण विगत चार वर्षों से स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

अतः राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से विभागीय स्तर पर पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की योजना में दूरदर्शिता की कमी के परिणामस्वरूप स्कीम अपूर्ण रही जिससे ₹ 74.84 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं हुई।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जून 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग

3.11 अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम को अतिरिक्त भुगतान और सरकारी लेखों से बाहर रखी निधियों पर ब्याज हानि

अस्पताल के निर्माण पर वास्तविक व्यय को जांचे बिना परामर्शदात्री अभिकरण को निधियां जारी करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ और वित्तीय नियमावली के गैर-अनुपालन से ₹ एक करोड़ सरकारी लेखा से बाहर रखे जाने के अतिरिक्त ₹ 51.60 लाख की ब्याज हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 का नियम 2.10 (ख) 5 अनुबद्ध करता है कि कोषागार से धन तब तक आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक यह तत्काल संवितरण हेतु अपेक्षित न हो।

राज्य सरकार ने ₹ 54.99 करोड़ की अनुमानित लागत पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा के लिए 500 बैड वाले अस्पताल भवन के निर्माण को अनुमोदित किया था (जून 2003 तथा जून 2007)। भवन का निर्माण अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम (भारत) लिमिटेड, नोएडा द्वारा किया जाना था। इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री अभिकरण के साथ अनुबंध किया था (सितम्बर 2000)। अनुबंध के अनुसार परामर्शदात्री अभिकरण को चल भुगतान प्रारम्भिक/विस्तृत लागत अनुमानों जो अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम द्वारा प्रत्येक तीसरे महीने की 15 तारीख तक प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं, के आधार पर किये जाने थे। तथापि अंतिम भुगतान परियोजना के वास्तविक व्यय के आधार पर जारी किया जाना था। भवन का निर्माण दिसम्बर 2005 तक पूर्ण किया जाना अनुबद्ध था।

प्राचार्य, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी-जून 2014) में पाया गया कि अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम द्वारा निष्पादन के लिए भवन का निर्माण जून 2003 में आरम्भ किया गया था तथा मार्च 2007 में पूर्ण किया था। प्राचार्य द्वारा अक्टूबर 2000 तथा मार्च 2006 के मध्य ₹ 54.99 करोड़³⁵ आहरित किये थे और अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम को अक्टूबर 2000 तथा अप्रैल 2007 के मध्य ₹ 53.99 करोड़³⁶ जारी किये थे। यह पाया गया था कि ₹ 53.99 करोड़ में से ₹ 50.47 करोड़ अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम द्वारा प्रस्तुत की गई निर्माण कार्य प्रगति के आधार पर आवधिक रूप से जारी किये गये थे, लेकिन ₹ 3.52 करोड़ का अंतिम भुगतान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय की जांच किये बिना किया गया था। जुलाई 2009 में प्राचार्य से प्राप्त किये निर्माण कार्यों के विस्तृत लेखों की जांच से यह सुनिश्चित किया गया था कि ₹ 53.99 करोड़ की कुल जारी राशि के प्रति भवन के निर्माण पर ₹ 52.43 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम को ₹ 1.56 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम द्वारा जून 2014 तक राशि प्रत्यर्पित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि मार्च 2006 में कोषागार से आहरित ₹ एक करोड़ (अर्थात् ₹ 54.99 करोड़ - ₹ 53.99 करोड़) की शेष राशि फरवरी 2011 तक बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखी गई थी

³⁵ अक्टूबर 2000 से मार्च 2005 के मध्य: ₹ 50.47 करोड़ तथा मार्च 2006: ₹ 4.52 करोड़

³⁶ अक्टूबर 2000: ₹ 1.00 करोड़; सितम्बर 2003: ₹ 1.29 करोड़; दिसम्बर 2003: ₹ 7.00 करोड़; मार्च 2004: ₹ 6.50 करोड़; जुलाई 2004: ₹ 6.00 करोड़; अक्टूबर 2004: ₹ 3.00 करोड़; नवम्बर 2004: ₹ 5.00 करोड़; जनवरी 2005: ₹ 5.00 करोड़; मार्च 2005: ₹ 15.00 करोड़; जुलाई 2005: ₹ 0.68 करोड़ तथा अप्रैल 2007: ₹ 3.52 करोड़

और उसके पश्चात बैंक में फिक्सड डिपोजिट प्राप्तियों के रूप में रखी गई थी। जून 2014 तक राशि फिक्सड डिपोजिट प्राप्तियों के रूप में जमा रही थी। सरकारी धन को पांच वर्षों तक बैंक ड्राफ्ट के रूप में और आठ वर्षों से अधिक समय के लिए सरकारी लेखा से बाहर रखना हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के उपरोक्त प्रावधान के विपरीत था। आठ वर्षों से अधिक समय के लिए ₹ एक करोड़ के अवरोधन के अतिरिक्त इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.60 लाख (सरकारी उधारों की औसत ब्याज दरों पर गणना की गई) की ब्याज हानि भी हुई। इसके अतिरिक्त मार्च 2006 से फरवरी 2011 के दौरान बैंक को अनुचित लाभ दिया गया था।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2014) कि अस्पताल सेवायें परामर्शदात्री निगम से राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाया गया था। फिक्सड डिपोजिट प्राप्त में रखे गये ₹ एक करोड़ के सम्बंध में यह बताया गया था कि राशि बर्न इकाई के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को जारी की जाएगी जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग वित्तीय आदेशों तथा सख्त मितव्ययी अर्थव्यवस्था को सख्ती से लागू करने में असफल रहा था।

अतः अस्पताल भवन के निर्माण पर किए गए वास्तविक व्यय को जांचे बिना परामर्शदात्री अभिकरण को निधियां जारी करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ और वित्तीय नियमावली की गैर-अनुपालना से ₹ एक करोड़ सरकारी लेखों से बाहर रखने के अतिरिक्त ₹ 51.60 लाख की ब्याज हानि हुई।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

योजना विभाग

3.12 पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना का कार्यान्वयन

स्कीम के दिशा-निर्देशों के विपरीत 2010-14 के दौरान नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों द्वारा कोषागार से वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति अग्रिम रूप में ₹ 0.24 करोड़ से ₹ 1.23 करोड़ की निधियां आहरित कर बैंकों में रखी गई थी। 2011-14 के दौरान पूर्व तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किए बिना सड़क तथा पुल क्षेत्रों के अंतर्गत ₹ 10.31 करोड़ के 592 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए थे। 11 निष्पादन अभिकरणों द्वारा जुलाई 2014 तक ₹ 3.95 करोड़ के संस्वीकृत (2008-14) 168 निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे जिसमें चार से 72 महीनों का विलम्ब हुआ।

राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लक्ष्य के साथ पहचान किए गए पिछड़ा क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के लिए जून 1974 में पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना आरम्भ की गई थी। तथापि इसका प्रभावशाली कार्यान्वयन 1995-96 से आरम्भ किया गया था। इस उद्देश्य के लिए परिव्यय को गैर-अपवर्तित बनाने हेतु अनुदान के लिए एक भिन्न मांग लाई गई। स्कीम राज्य के 10 गैर-जनजातीय जिलों में विकास के 13³⁷ क्षेत्रों/शीर्षों में लाइन विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस उप-योजना

³⁷

कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, प्रारम्भिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बागवानी, लघु सिंचाई, सड़क तथा पुल, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण जलापूर्ति, सामाजिक वानिकी तथा मृदा संरक्षण

के अंतर्गत उपायुक्तों को स्कीम की संस्वीकृति तथा अनुश्रवण के लिए नियंत्रण अधिकारी घोषित किया गया है।

मई-जुलाई 2014 के दौरान शिमला क्षेत्र में दो उपायुक्तों³⁸ के अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से 2011-14 की अवधि को आवृत करती पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना की लेखापरीक्षा की गई थी। इन जिलों में 23 निष्पादन अभिकरणों में से 11³⁹ के अभिलेखों (सड़क तथा पुल क्षेत्रों) की नमूना जांच भी की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत हैं:

3.12.1 योजना एवं वित्तीय प्रबन्धन

3.12.1.1 वार्षिक कार्य योजना

नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार उपायुक्तों द्वारा समस्त क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित स्कीमों के नाम, राशि, वास्तविक लक्ष्यों, आदि, को दर्शाती वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी थी और आगामी वित्त वर्ष के आरम्भ से पूर्व जिला योजना, विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति से अनुमोदित करवानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-14 के दौरान उपायुक्तों द्वारा नमूना-जांचित जिलों की वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। आगे, जिला योजना, विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति ने भी आयोजित बैठकों (परिच्छेद 3.12.3.3) में वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार न किये जाने और उनके अनुमोदन का संज्ञान नहीं लिया था। अतः वार्षिक कार्य योजनाओं के न होने से 2011-14 के दौरान उपायुक्तों द्वारा ₹ 18.45 करोड़ की समस्त राशि तदर्थ तरीके से संस्वीकृत और जारी की गई थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जून 2014) उपायुक्त, शिमला ने वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने के कारण नहीं बताये। उपायुक्त, सिरमौर ने बताया (मई 2014) कि वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई थी और जिले की जिला योजना, विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति से अनुमोदित करवा ली गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपायुक्त द्वारा अपेक्षित विस्तृत कार्य योजनाओं के स्थान पर मात्र बजट प्राक्कलन तैयार किए गए थे।

3.12.1.2 निधियों की उपलब्धता और इनको निष्पादन अभिकरणों को जारी किया जाना

व्यय को एक चरणबद्ध रूप में विनियमित करने के लिए और किसी असामान्य उतार-चढ़ावों से बचने के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के दिशा-निर्देशों का परिच्छेद 14 वित्तीय वर्ष के दौरान उपायुक्तों द्वारा किये जाने वाले व्यय की तिमाहीवार प्रतिशतता⁴⁰ का प्रावधान करता है। आगे राज्य सरकार निर्देशों (जनवरी 2004) के अनुसार, निधियां कोषागार से तब तक आहरित नहीं की जायें जब तक ये तत्काल संवितरण हेतु अपेक्षित न हों। इसी प्रकार ऐसी निधियां बैंक/डाकखाने में नहीं रखी जानी चाहिये। लेखापरीक्षा में निम्नवत कमियां पाई गई :

(i) 2011-14 के दौरान ₹ 17.46 करोड़⁴¹ के आवंटन के प्रति नमूना जांचित उपायुक्तों ने स्कीमों/निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए कोषागार से समस्त राशि आहरित की थी। यद्यपि उपरोक्त अवधि के दौरान बुक किया गया व्यय आवंटित निधियों के बराबर था, बुक किये गये व्यय ने केवल

³⁸ शिमला तथा सिरमौर

³⁹ खंड विकास अधिकारी: पांच (छोहारा, चौपाल, पांवटा साहिब, रोहडू तथा संगड़ाह), उप मंडलीय अधिकारी (सिविल) के अंतर्गत उप-खंड, डोडरा बवार तथा लोक निर्माण मंडल: पांच (चौपाल, डोडरा बवार, पांवटा साहिब, रोहडू तथा संगड़ाह)

⁴⁰ व्यय की प्रतिशतता: प्रथम तिमाही: 25, द्वितीय तिमाही: 40, तृतीय तिमाही: 25 तथा चतुर्थ तिमाही: 10

⁴¹ 2011-12: ₹ 3.96 करोड़; 2012-13: ₹ 6.91 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 6.59 करोड़

सरकारी खाते से आहरित राशि को ही प्रतिबिम्बित किया था, न कि निष्पादित निर्माण कार्यों पर वास्तव में खर्च की गई राशि दर्शाई थी जैसा कि **परिच्छेद संख्या 3.12.2.3** में इंगित किया गया है।

(ii) उपरोक्त निर्देशों के विपरीत 2011-14 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में प्रत्येक वर्ष की चौथी तिमाही में व्यय 16 से 59 प्रतिशत के मध्य था। नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों ने बताया (मई तथा जून 2014) कि व्यय जिला योजना, विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति (सिरमौर जिला) द्वारा स्कीमों के अनुमोदन के पश्चात और पंचायतों, आदि से प्रस्तावों की (जिला शिमला) प्राप्ति पर किया गया था। उत्तर दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि उपायुक्तों को नियंत्रित रूप से निधियों का जारीकरण सुनिश्चित करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त 2011-14 के दौरान जिला सिरमौर में अंतिम तिमाही में जिला योजना, विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी जैसा कि **परिच्छेद संख्या 3.12.3.2** में इंगित किया गया है।

(iii) 2011-14 के दौरान नमूना-जांचित उपायुक्तों द्वारा निधियों की कुल उपलब्धता और निष्पादन अभिकरणों को जारीकरण **तालिका-3.12.1** में दिया गया है।

तालिका-3.12.1

2011-14 के दौरान निधियों की वर्षवार उपलब्धता और इनका निष्पादन अभिकरणों को जारीकरण

(₹ करोड़)

वर्ष	अधशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधियां	निधियों की कुल उपलब्धता	निष्पादन अभिकरणों को जारी निधियां	शेष
2011-12	1.23	3.96	5.19	4.92	0.27
2012-13	0.27	6.91	7.18	6.94	0.24
2013-14	0.24	6.59	6.83	6.59	0.24
योग		17.46		18.45	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना

तालिका-3.12.1 से देखा जा सकता है कि उपरोक्त निर्देशों के विपरीत, ₹ 1.98 करोड़ राशि की निधियां आवश्यकता के प्रति अग्रिम रूप में आहरित कर (2010-11: ₹ 1.23 करोड़; 2011-12 ₹ 0.27 करोड़; 2012-13: ₹ 0.24 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 0.24 करोड़) बैंकों में रखी गई थी। कोषागार में निधियां जमा करवाने के स्थान पर इन्हें आगे ले जाया गया और निष्पादन अभिकरणों को अनुवर्ती वर्षों के दौरान जारी किया गया। अतः निधियां सरकारी खाते और सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर रखी गई थी।

(iv) नमूना जांचित निष्पादन अभिकरणों में वित्तीय वर्षों 2011-14 के अंत में ₹ 4.34 करोड़ से ₹ 5.39 करोड़ के मध्य की निधियां बैंकों में अप्रयुक्त रखी थी और अनुवर्ती वर्षों में ले जाई गई थी। निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखने के अतिरिक्त स्कीमों को समय पर निष्पादित भी नहीं किया गया था (**परिच्छेद 3.12.2.3**)। सम्बन्धित निष्पादन अभिकरणों ने बताया (मई-जुलाई 2014) कि ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों के निष्पादन और निधियों का उपयोग की गति तीव्र करने के लिए निर्देश दिए जा रहे थे। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि निष्पादन अभिकरणों ने निधियों के समयबद्ध उपयोग के लिए प्रयास नहीं किए थे।

3.12.1.3 जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन के बिना निधियों का पुनर्विनियोजन

जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति को उपक्रम अवसंरचनात्मक विकास के लिए क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित बजट का अंतर्विभागीय/क्षेत्रीय

पुनर्विनियोजन करने का अधिकार दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के अंत में नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों द्वारा जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना ₹ 4.96 करोड़ (परिशिष्ट-3.1) के विभागीय/अंतर्क्षेत्रीय पुनर्विनियोजन किए गए थे।

उपायुक्त शिमला ने बताया (जून 2014) कि पुनर्विनियोजन शीघ्र ही जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति से अनुमोदित करवा लिए जायेंगे। उपायुक्त सिरमौर ने बताया (मई 2014) कि योजना विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन वित्त विभाग से अनुमोदन के पश्चात किया गया है। उत्तर पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत है।

3.12.2 स्कीमों का कार्यान्वयन

3.12.2.1 प्राक्कलनों के तकनीकी अनुमोदन के बिना निर्माण कार्यों की संस्वीकृति

राज्य सरकार के निर्देशों (दिसम्बर 1999) के अनुसार उपायुक्तों द्वारा निर्माण कार्यों की संस्वीकृति से पूर्व प्राक्कलनों का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। इस अनुबंध के उल्लंघन में 2011-14 के दौरान नमूना जांचित उपायुक्तों द्वारा पूर्व तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किए बिना सड़क तथा पुल क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 10.31 करोड़ की लागत के 592 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए थे जिससे अंततः निर्माण कार्यों की प्रगति बाधित हुई (परिच्छेद 3.12.2.3 तथा 3.12.2.4)। उपायुक्त शिमला ने बताया (जून 2014) कि समस्त संस्वीकृत निर्माण कार्य का तकनीकी अनुमोदन सम्बंधित निष्पादन अभिकरणों द्वारा प्राप्त किया जाना था। उपायुक्त सिरमौर ने बताया (मई 2014) कि निर्माण कार्य/स्कीम निष्पादन अभिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार संस्वीकृत की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति देने से पहले स्कीमों की तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए थी।

3.12.2.2 अस्वीकार्य निर्माण कार्यों पर व्यय

पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के दिशा-निर्देश प्रावधान करते हैं कि विकासात्मक निर्माण कार्य सामान्य जन को लाभान्वित करने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए संस्वीकृत किया जाना चाहिए। स्कीम उन निर्माण कार्यों⁴² की सूची भी प्रस्तुत करती है जिनके लिए निधियों का जारीकरण पूर्णतया निषेध है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में 2009-13 के दौरान उपायुक्त शिमला ने सड़क तथा पुल क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 0.95 करोड़ (परिसीमा दीवारें-29 कार्य: ₹ 0.41 करोड़; सामुदायिक भवन-पांच कार्य: ₹ 0.10 करोड़, महिला मंडल भवन-दो कार्य: ₹ 0.02 करोड़ तथा मरम्मत कार्य-19: ₹ 0.42 करोड़) की लागत के 55 अस्वीकार्य निर्माण कार्यों को संस्वीकृति दी थी।

3.12.2.3 निर्माण कार्यों की प्रास्थिति

पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार उपायुक्तों द्वारा संस्वीकृत निर्माण कार्य संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किए जाने चाहिए। तथापि यह पाया गया था कि:

- (i) 2011-14 के दौरान नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों ने पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत ₹ 10.31 करोड़ के लिए संस्वीकृत सड़कों तथा पुलों से सम्बंधित 592 निर्माण कार्यों के

42

सामुदायिक हॉल, महिला मंडल भवन परिसीमा दीवारें तथा मरम्मत कार्य

वास्तविक निष्पादन की प्राप्ति के आंकड़े अनुरक्षित/अद्यतन नहीं किए थे। सम्बंधित उपायुक्तों ने बताया (मई तथा जून 2014) कि निष्पादन अभिकरणों को निर्माण कार्यों की समयबद्ध पूर्णता के लिए निदेश जारी किये गये थे।

(ii) 11 नमूना-जांचित निष्पादन अभिकरणों में निर्माण कार्यों के निष्पादन की स्थिति निम्न प्रकार से है:

- 2011-14 के दौरान ₹ 7.97 करोड़ के लिए संस्वीकृत 461 निर्माण कार्यों में से 232 निर्माण कार्य ₹ 3.60 करोड़ के व्यय पर पूर्ण किए गए थे। शेष 229 निर्माण कार्यों में से ₹ 1.61 करोड़ की संस्वीकृत लागत से अंतर्ग्रस्त 104 निर्माण कार्य ₹ 0.77 करोड़ का व्यय किए जाने के बाद अपूर्ण थे और ₹ 2.69 करोड़ के लिए संस्वीकृत 125 निर्माण कार्य जुलाई 2014 तक आरम्भ नहीं किए गए थे।
- 2008-11 के दौरान ₹ 2.10 करोड़ के लिए संस्वीकृत 66 निर्माण कार्यों में से 23 निर्माण कार्य (संस्वीकृत लागत: ₹ 0.83 करोड़) ₹ 0.59 करोड़ का व्यय किये जाने के बाद अपूर्ण थे और ₹ 1.26 करोड़ के लिए संस्वीकृत 43 निर्माण कार्य जुलाई 2014 तक आरम्भ नहीं किए गए थे। निर्माण कार्यों को आरम्भ करने/पूर्णता में विलम्ब तीन से छः वर्षों के मध्य था।

निर्माण कार्यों का आरम्भ न किये जाने/पूर्णता न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.95 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ, इसके अतिरिक्त क्षेत्र के लोग अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। निष्पादन अभिकरणों ने बताया (मई-जुलाई 2014) कि भूमि की अनुपलब्धता, सीमित कार्य मौसम, पंचायतों द्वारा विलम्ब, आदि के कारण निर्माण कार्यों के आरम्भ/पूर्णता में विलम्ब था। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि निष्पादन अभिकरणों ने समय पर निर्माण कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित नहीं की थी।

3.12.2.4 निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन/स्थल निरीक्षण

लेखापरीक्षा द्वारा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत कुछ निर्माण कार्यों के स्थल निरीक्षण के दौरान निम्नवत् कमियां पाई गई थी:

(i) निष्फल व्यय

मार्च 2010 में संगडाह लोक निर्माण मंडल द्वारा निष्पादन के लिए 2/0 से 3/510 किलोमीटर लाना चेट्टा बसाली सड़क का निर्माण आरम्भ किया गया था। ₹ 13 लाख के व्यय पर 2/765 किलोमीटर तक सड़क के निर्माण के बाद निर्माण कार्य निधियों के अभाव के कारण अवरूद्ध हुआ था (जून 2013) और 2/0 किलोमीटर पर नेत खल्ला पर वाहन योग्य पुल के गैर-निर्माण के कारण निर्मित सड़क भी प्रयोग के लिए खोली नहीं गई थी। आगे यह पाया गया था कि खंड विकास अधिकारी, संगडाह ने उपरोक्त स्थल पर वाहन योग्य पुल के स्थान पर ₹ 2.52 लाख के व्यय पर एक पैदल पुल (मार्च तथा जुलाई 2013 के मध्य) का निर्माण किया था लेकिन यह भारी वर्षा के कारण जुलाई 2013 में नष्ट हो गया था। सड़क का निर्माण जून 2014 तक पुनः आरम्भ नहीं किया गया था। अतः ₹ 1552 लाख का व्यय निष्फल रहा। अधिशासी अभियंता, संगडाह मंडल ने बताया (जून 2014) कि निधियों की प्राप्ति पर सड़क निर्माण कार्य पुनः आरम्भ किए जायेंगे। खंड विकास अधिकारी, संगडाह ने बताया (जून 2014) कि निधियों की प्राप्ति पर सड़क निर्माण कार्य शीघ्र ही पुनः आरम्भ किया जायेगा।

(ii) निर्माण कार्यों को आरंभ न किये जाने के कारण निधियों का अवरोधन

उपायुक्त शिमला ने शिमला जिले के डोडराक्वार उपमण्डल में ₹ 31.00 लाख के लिये पांच निर्माण कार्यों⁴³ को संस्वीकृत किया था (मार्च 2007 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य) तथापि पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता और संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण निर्माण कार्यों की तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन अभिकरणों के पास 30 से 87 महीनों के लिये ₹ 31.00 लाख का अवरोधन हुआ। निष्पादन अभिकरणों ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2014)।

3.12.3 अनुश्रवण**3.12.3.1 परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण**

पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के दिशा निर्देश सामान्य जन को लाभ पहुंचाने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये प्रावधान करते हैं और परिसम्पत्तियों का मालिकाना हक सम्बंधित पंचायतों/निष्पादन अभिकरणों/विभागों के पास होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-14 के दौरान उप-योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रजिस्टर नमूना जांचित निष्पादन अभिकरणों द्वारा अनुरक्षित नहीं किये थे। अभिकरणों ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (मई-जुलाई 2014) बताया कि मामले पर भविष्य में अनुपालना की जायेगी। उत्तर इस की व्याख्या नहीं करते कि महत्वपूर्ण अभिलेख अनुरक्षित क्यों नहीं किये गये थे।

3.12.3.2 मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार न किया जाना

राज्य सरकार के निदेश (अप्रैल 1996 तथा मई 2001) मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत स्कीमों के कार्यान्वयन तथा व्यय समीक्षा आगामी महीने की 15 तारीख तक संचालित करने और आगामी तिमाही की 20 तारीख तक उपायुक्तों द्वारा योजना विभाग को प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान करते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-14 के दौरान नमूना जांच किए गए जिलों के उपायुक्तों ने अपेक्षित मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किए थे। इसी प्रकार, उपायुक्तों ने उपरोक्त अवधि के दौरान निष्पादन अभिकरणों से कोई भी मासिक/त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किए थे। स्पष्ट रूप से, न तो उपायुक्तों ने, न ही निष्पादन अभिकरणों ने प्रभावी रूप से स्कीमों/निर्माण कार्यों के निष्पादन का अनुश्रवण किया था। उपायुक्तों तथा निष्पादन अभिकरणों ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (मई तथा जुलाई 2014 के मध्य) इस के लिये कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए थे।

43

रूपिन नदी (ग्राम जिसकून) के ऊपर सस्पेंशन पुल का निर्माण: ₹ 5.00 लाख (अगस्त 2008); चाधार नाले के ऊपर पुल का निर्माण: ₹ 5.00 लाख (मार्च 2011); ग्राम पंचायत क्वार में सराय भवन का निर्माण: ₹ 5.00 लाख (मार्च 2007); ग्राम धन्डरवारी से भरारा तक जीप योग्य सड़क का निर्माण: ₹ 8.00 लाख (अगस्त 2008) तथा धन्डरवारी तथा डोडरा ग्राम पंचायतों में दो सड़कों का निर्माण: ₹ 8.00 लाख (दिसम्बर 2011)

3.12.3.3 जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठकें

जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों, जो उप-योजना के गठन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, की बैठकें तिमाहीवार आयोजित की जानी अपेक्षित थी ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-14 के दौरान दो नमूना जांचित जिलों में प्रत्येक में आयोजित किए जाने के लिए अपेक्षित जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की 12 बैठकों के प्रति उपरोक्त अवधि के दौरान शिमला जिले में मात्र एक बैठक (01 फरवरी 2012) और सिरमौर जिले में तीन बैठकें (28 दिसम्बर 2011, 09 जुलाई 2012 तथा 05 अगस्त 2013) आयोजित की गई थी। बैठकों के आयोजन में कमी 75 से 92 प्रतिशत के मध्य थी । इस ने दर्शाया कि जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति द्वारा उप योजना के अन्तर्गत स्कीमों का अनुश्रवण तथा समीक्षा नहीं किया जा रहा था। उपायुक्तों ने बताया (मई तथा जून 2014) कि जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठकें अध्यक्ष की उपलब्धता के अनुसार निश्चित की गई थी। तथापि तथ्य यह रहा कि जिला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठकें, नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही थी ।

अतः पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत 2010-14 के दौरान नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों द्वारा कोषागार से वास्तविक आवश्यकता के प्रति अग्रिम रूप में ₹ 0.24 करोड़ से ₹ 1.23 करोड़ के मध्य निधियां आहरित की गई और स्कीम के दिशा निर्देशों के विपरीत बैंकों में रखी गई थी । 2011-14 के दौरान उपायुक्तों ने पूर्व तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किए बिना सड़क तथा पुल क्षेत्रों के अन्तर्गत ₹ 10.31 करोड़ के लिए 592 निर्माण कार्यों को संस्वीकृत किया था । नमूना जांचित निष्पादन अभिकरणों ने जुलाई 2014 तक ₹ 3.95 करोड़ के लिए संस्वीकृत (2008-14) 168 निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए थे जिस में चार से 72 महीनों का विलम्ब शामिल है ।

सरकार को लेखा परीक्षा परिणाम अगस्त 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014) ।

लोक निर्माण विभाग

3.13 फर्म को अनुचित वित्तीय लाभ

विभाग द्वारा संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में असफलता से फर्म को ₹ 8.01 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त ₹ 12.66 करोड़ का व्यय अधिकांशतः निष्फल सिद्ध हुआ।

भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 0/0 किलोमीटर से 30.375 किलोमीटर बरोटी-राखेरा-धर्मपुर-मरही-कमलाह-गल्लू सड़क के सुधार तथा चौड़ी करने के लिए ₹ 33.10 करोड़ हेतु प्रशासनिक अनुमोदन दिया था (जनवरी 2010)। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), शिमला ने ₹ 31.86 करोड़ के कार्य की तकनीकी संस्वीकृत दी थी (फरवरी 2010)। निर्माण कार्य⁴⁴ एक फर्म को ₹ 28.54 करोड़ की निविदा लागत पर दिया गया (मई 2011) और दिसम्बर 2012 तक पूर्ण किए जाने के लिए अनुबद्ध था। तदनुसार फर्म ने निर्माण कार्य जून 2011 में आरम्भ किया।

⁴⁴

फॉर्मेशन कटिंग, क्रोस ड्रेनेज, सोलिंग, मेटलिंग एवं टारिंग यू आकारीय के ड्रेन, पेरपेट्स, कौचर लाइन तथा मील पत्थर (कुल लम्बाई: 30.375 किलोमीटर) उपलब्ध करवाना

धर्मपुर मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2014) में पाया गया कि फर्म ने संविदा अनुबंध में निर्धारित निर्माण कार्य की गति प्राप्त नहीं की थी और अनुबद्ध तिथि तक इसे पूर्ण करने में असफल रही थी। 30 प्रतिशत निर्माण कार्य⁴⁵ अर्थात् ₹ 12.66 करोड़ से निष्पादन करने के पश्चात फर्म ने मई 2013 में कोई कारण सूचित किए बिना निर्माण कार्य रोक दिया। फर्म ने अक्टूबर 2014 तक निर्माण कार्य पुनः आरम्भ नहीं किया था। इस तथ्य के बावजूद कि फर्म ने निर्माण कार्य रोक दिया था, विभाग ने संविदा अनुबंध की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की और इस प्रकार उसको निम्नवत् अनुचित लाभ पहुंचाए:

- संविदा अनुबंध की धारा 49 के अनुसार विभाग ने विलम्ब के लिए ₹ 2.85 करोड़ (₹ 28.54 करोड़ की निविदा राशि का 10 प्रतिशत) के परिसमाप्त नुकसानों का उद्ग्रहण नहीं किया था।
- संविदा अनुबंध की धारा 51 के अनुसार अगस्त 2011 से मार्च 2012 के मध्य फर्म को भुगतान किया गया ₹ 4.12 करोड़ (मशीनरी अग्रिम: ₹ 1.27 करोड़ तथा संग्रहण अग्रिम: ₹ 2.85 करोड़) का अग्रिम पूर्णता के लिए मूल समय बीतने से पहले ब्याज सहित (भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य उधार दरों से ऊपर 2 प्रतिशत की दर पर) वसूल किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त अग्रिम में से, ₹ 3.18 करोड़ तथा अक्टूबर 2014 तक का ₹ 1.69 करोड़ ब्याज जनवरी 2014 तक वसूल नहीं किया गया था।
- विभाग ने फर्म को निर्माण कार्य की पूर्णता की अनुबद्ध तिथि से परे की अवधि के लिए लागत वृद्धि के लिए ₹ 29.16 लाख का भुगतान अनुमत किया था (अगस्त 2013) जो संविदा अनुबंध के अनुसार स्वीकार्य नहीं था।
- विभाग ने संविदा को निरस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी और अनिश्चित समय के लिए संविदा को जारी रखा था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंडल के अधिशासी अभियंता ने बताया (जनवरी तथा नवम्बर 2014) कि वसूलियां प्रभावी करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की जा रही थी और कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर इन कारणों की व्याख्या नहीं करता कि संविदा अनुबंध को तोड़ने के लिए समय पर फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी।

अतः विभाग द्वारा संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में विफलता से फर्म को ₹ 8.01 करोड़⁴⁶ का अनुचित लाभ पहुंचने के अतिरिक्त ₹ 12.66 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि निर्माण कार्य की अपूर्णता के कारण क्षेत्र के लोग वांछित लाभों से वंचित रहे थे।

सरकार को लेखा परीक्षा परिणाम अगस्त 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

⁴⁵ फॉर्मेशन कटिंग: 16.500 किलोमीटर; क्रॉस ड्रेनेज: 5.520 किलोमीटर, सोलिंग: 2.100 किलोमीटर तथा यू आकारीय ड्रेन: 1.684 किलोमीटर

⁴⁶ वसूल नहीं किया गया अग्रिम: ₹ 3.18 करोड़, अग्रिमों पर वसूल नहीं किया गया ब्याज: ₹ 1.69 करोड़, परिसमाप्त नुकसान: ₹ 2.85 करोड़ तथा अस्वीकार्य लागत वृद्धि: ₹ 29.16 लाख

3.14 अपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय

कार्यों को निष्पादन के लिए आरम्भ करने से पहले पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं की अनुपालना करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.60 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के भाग 2 के अंतर्गत गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के प्रयोग के लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित था। अन्य मामलों में भी विभाग को निर्माण कार्यों का निष्पादन आरम्भ करने से पहले बाधा रहित भूमि सुनिश्चित करनी थी।

जोगिन्द्र नगर मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2014) में पाया गया कि नाबार्ड⁴⁷ के अंतर्गत ₹ 4.60 करोड़ के लिए संस्वीकृत (अगस्त 2009 तथा सितम्बर 2010) दो सड़कों⁴⁸ (लम्बाई : 8.300 किलोमीटर) का निर्माण क्रमशः नवम्बर 2011 तथा नवम्बर 2012 में पूर्ण किये जाने के लिए अनुबद्ध था। 4.300 किलो मीटर की लम्बाई के लिए इन निर्माण कार्यों के आंशिक निष्पादन पर जनवरी 2014 तक ₹ 2.60 करोड़ (कुट-चांदनी सड़क-किलोमीटर 2.300: ₹ 0.64 करोड़ तथा कुनी रेंस सड़क-किलोमीटर 2.000: ₹ 1.96 करोड़) का व्यय किया जा चुका था। तथापि शेष हिस्सों में निर्माण कार्यों का निष्पादन सड़कों के संरेखन में वन तथा निजी भूमि के होने के कारण बीच में रोकना पड़ा (मई 2011 तथा मई 2012)। आगे यह पाया गया कि विभाग ने वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्य के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। निर्माण कार्यों को आरम्भ करने से पहले अंतर्ग्रस्त निजी भूमि को भी विभाग के नाम पर अधिग्रहित नहीं किया गया था, यद्यपि नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि ऋण के लिए विभाग द्वारा बाधा रहित भूमि की उपलब्धता के सम्बंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए गए थे। ये निर्माण कार्य 22 से 34 महीनों के लिए अपूर्ण रहे थे।

इसे इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 2014) कि वन भूमि के अपवर्तन के लिए मामले प्रक्रियाधीन थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।

अतः निष्पादन के लिए निर्माण कार्यों को आरम्भ करने से पहले पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं की अनुपालना करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.60 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि इन निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण क्षेत्र के लोग समय पर अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

सरकार को लेखापरीखा परिणाम जून 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

⁴⁷ नाबार्ड: कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

⁴⁸ कुट-खेतारू-चांदनी सड़क (4.300 किलोमीटर): ₹ 1.38 करोड़ तथा कुनी-कटकल-भलारा-रेंस सड़क (तीन पुलों सहित 4.000 किलोमीटर): ₹ 3.22 करोड़

3.15 सड़क/पुल के निर्माण पर निरर्थक व्यय और संविदाकार को अनुचित लाभ

₹ 71.36 लाख का व्यय करने के पश्चात संपर्क मार्ग की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप पुल के निर्माण पर ₹ 1.64 करोड़ का निरर्थक व्यय और एक संविदाकार को ₹ 22.51 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

कांगडा जिले के चार⁴⁹ ग्रामों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संसाई चौबिन रोड़ से पटेल नगर 7.000 किलोमीटर (5/405 किलोमीटर से 12/405 किलोमीटर) संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 1.20 करोड़ अनुमोदित किया था (अक्टूबर 2003)। निर्माण कार्य एक संविदाकार को ₹ 1.21 करोड़ के लिए दिया गया था (मई 2004) और जून 2005 तक पूर्ण किए जाने के लिए अनुबद्ध था।

बैजनाथ मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2012) और आगे एकत्रित की गई सूचना (फरवरी 2013-मई 2014) ने दर्शाया कि संविदाकार ने अक्टूबर 2004 में निर्माण कार्य आरम्भ किया था। संविदाकार ने अनुबद्ध अवधि के भीतर निर्माण कार्य की गति प्राप्त नहीं की थी। ₹ 43.85 लाख की राशि के निर्माण कार्य⁵⁰ का निष्पादन करने के पश्चात् संविदाकार ने 5/405 किलोमीटर से 8/630 किलोमीटर पर सड़क के सरेखन में वन भूमि की अंतर्ग्रस्तता के कारण इसे रोक दिया था (जुलाई 2007)। यद्यपि नवम्बर 2007 में भारत सरकार द्वारा उद्देश्य के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु स्वीकृति दी गई थी, तथापि संविदाकार ने पुरानी दरों पर निर्माण कार्य का निष्पादन पुनः आरम्भ करने से मना कर दिया था (अक्टूबर 2008)। अंततः विभाग ने निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब के लिए ₹ 12.14 लाख (निविदा राशि की 10 प्रतिशत की दर से) परिसमाप्त नुकसानों और ₹ 10.37 लाख के मूल्य की सामग्री की वसूली किए बिना संविदा को निरस्त कर दिया (सितम्बर 2011)। इस बीच निर्माण कार्य जो विगत सात वर्षों से स्थगित अवस्था में पड़ा है, पर ₹ 71.36 लाख⁵¹ का व्यय किया जा चुका था।

मंडल ने शेष निर्माण कार्य के केवल एक भाग⁵² के सम्बंध में ₹ 76.43 लाख के संशोधित प्राक्कलन मुख्य अभियंता मंडी क्षेत्र के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए (मई 2014)। यह बताया गया था कि शेष निर्माण कार्य निधियां उपलब्ध होने पर चरणबद्ध रूप से राज्य शीर्ष के अंतर्गत निष्पादित किया जाना है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि संपर्क मार्ग को संसाई चौबीन सड़क से जोड़ने के लिए विभाग ने नाबार्ड⁵³ (आर0आई0डी0एफ0⁵⁴-XIII) के अंतर्गत ₹ 1.64 करोड़ के व्यय पर रास्तों सहित (राज्य योजना के अंतर्गत निर्मित 0/000 से 5/000 किलोमीटर संपर्क सड़क) ग्राम गोवल (आर0डी0 5/286) में बिनवा खड्ड के ऊपर एक 56.76 मीटर स्पैन पुल का निर्माण किया था (नवम्बर 2010 से मार्च 2014 के मध्य)। तथापि, निर्मित पुल संपर्क मार्ग की अपूर्णता के कारण वाहनीय परिवहन के लिए खोला नहीं जा सका था।

⁴⁹ चंब, कोठी, भरवाल खड्ड तथा पटेल नगर

⁵⁰ फोर्मेशन कटिंग: 2.500 किलोमीटर, सोलिंग: 2.932 किलोमीटर, वियरिंग जी-II: 2.932 किलोमीटर, वियरिंग जी-III: 1.642 किलोमीटर, टेरिंग: 1.387 किलोमीटर, साइड ड्रेन: 693 आर.एम.टी.एस. तथा पैराफिट: 144 संख्या

⁵¹ निर्माण कार्य पर व्यय: ₹ 43.85 लाख; फेन्स पोस्ट (जुलाई 2007): ₹ 0.41 लाख, क्षतिपूरक वनारोपण (जुलाई 2007): ₹ 2.68 लाख तथा निवल वर्तमान मूल्य (सितम्बर 2009): ₹ 24.42 लाख

⁵² फोर्मेशन कटिंग: 3.240 किलोमीटर तथा क्रॉस ड्रेनज: 2 संख्या

⁵³ कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

⁵⁴ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर मंडल के अधिशासी अभियंता ने बताया (जनवरी तथा मई 2014) कि संशोधित प्राक्कलनों के अनुमोदन के पश्चात कार्य पुनर्निविदा किए जाएंगे और सामग्री की वसूली संविदाकार के अंतिम बिल के प्रति समायोजित की जायेगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने से पहले बाधा रहित भूमि सुनिश्चित की जानी चाहिए इसके अतिरिक्त, संविदाकार का अंतिम बिल विगत 30 महीनों से अधिक में तैयार नहीं किया गया।

अतः सड़क की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की अक्षमता से विगत पांच से सात वर्षों के लिए ₹ 71.36 लाख का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। इसके साथ ही परिसमाप्त नुकसानों तथा सामग्री की गैर-वसूली के द्वारा संविदाकार को ₹ 22.51 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त पुल पर ₹ 1.64 करोड़ का व्यय भी निरर्थक रहा।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

3.16 भोड़ी - खरजान सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय

सड़क के निर्माण की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता से ₹ 2.26 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

कांगड़ा जिले के भोड़ी और खरजान ग्राम को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड⁵⁵ की आर.आई.डी. एफ-XIV स्कीम के अंतर्गत 6.045 किलोमीटर लम्बी सुआन पुल-भोड़ी खरजान संपर्क सड़क के निर्माण के लिए ₹ 2.37 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (दिसम्बर 2008) दिया गया था। मुख्य अभियंता, उत्तरी क्षेत्र, धर्मशाला द्वारा कार्य को ₹ 2.16 करोड़ के लिए तकनीकी स्वीकृति दी गई थी (जनवरी 2009)। निर्माण कार्य का प्रथम चरण (0 से 6.045 किलोमीटर में फोर्मेशन कटिंग तथा रोड़ साइड स्ट्रक्चर) एक संविदाकार को ₹ 1.06 करोड़ के लिए दिया गया था (फरवरी 2009) और सितम्बर 2009 तक पूर्ण किये जाने के लिए अनुबद्ध था। निर्माण का अनुवर्ती कार्य (0 से 6.045 किलोमीटर में सोलिंग उपलब्ध करवाना तथा डालना, वियरिंग तथा कारपेट प्रीमिक्स करना) उसी संविदाकार को ₹ 0.90 करोड़ के लिए दिया गया था (अगस्त 2010) और अगस्त 2011 में पूर्ण किए जाने के लिए अनुबद्ध था।

बैजनाथ मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2013) तथा आगे एकत्रित सूचना (जनवरी तथा सितम्बर 2014) ने दर्शाया कि संविदाकार ने संविदा अनुबंधों में निर्धारित निर्माण कार्यों की गति प्राप्त नहीं की थी और 2.870 से 3.090 किलोमीटर तथा 3.285 से 4.405 किलोमीटर पर वन भूमि की अंतर्ग्रस्तता के कारण इन निर्माण कार्यों को अनुबद्ध तिथियों तक पूर्ण करने में विफल रहा। 4.200 किलोमीटर में फोर्मेशन कटिंग तथा क्रॉस ड्रेनेज, 3.545 किलोमीटर में सोलिंग, वियरिंग तथा टैरिंग और 3.000 किलोमीटर में साइड ड्रेनेज एवं 2.000 किलोमीटर में पैराफिटों का निर्माण कार्य निष्पादित किया गया था। जनवरी 2014 तक ₹ 2.26 करोड़ का व्यय किया गया था।

आगे यह पाया गया था कि विभाग ने नाबार्ड प्राधिकरण को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु आवश्यक स्वीकृति सुनिश्चित नहीं की थी। इसके विपरीत, विभाग द्वारा बाधा रहित भूमि की उपलब्धता

⁵⁵

नाबार्ड: कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

गलत ढंग से सत्यापित की गई थी। इसके बाद भी उद्देश्य के लिए वन भूमि के अपवर्तन का मामला वन विभाग के साथ उत्साहपूर्वक नहीं उठाया गया था। आगे मंडल के अधिशासी अभियंता ने इस याचिका पर वन भूमि के अपवर्तन की प्रक्रिया छोड़ दी (सितम्बर 2013) कि दिसम्बर 2013 में आर.आई.डी.एफ.-XIV के अंतर्गत निधियन बंद होने से निर्माण कार्यों को जारी नहीं रखा जा सकता था। इससे तीन वर्षों से अधिक के लिए सड़क निर्माण कार्य अपूर्ण रहा। न तो संविदाकार को संविदाओं को जारी रखने के लिए समय वृद्धियां दी गई थी और न ही संविदाएं निरस्त/बंद की गई थी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर मंडल के अधिशासी अभियंता ने बताया (फरवरी 2013 तथा सितम्बर 2014) कि सड़क का निर्माण 4.200 किलोमीटर तक किया गया था और दोनों ग्राम सड़क द्वारा जुड़ गए थे। उत्तर विरोधाभासी है क्योंकि दोनों ग्राम निर्माण के अंतर्गत सड़क के संरेखन के 5.000 किलोमीटर से बाहर थे और यहां तक कि आंशिक रूप से निर्मित सड़क भी सड़क फिटनेस समिति द्वारा वाहनीय परिवहन के लिए पारित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त उत्तर इसकी व्याख्या नहीं करता कि विभाग द्वारा उद्देश्य के लिए बाधा रहित भूमि प्राप्त करने के लिए वांछित समयबद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी।

अतः ₹ 2.26 करोड़ का व्यय किये जाने के बावजूद लाभार्थी ग्रामों को परिवहन सुविधा के वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुए।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम मई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

3.17 बंडी-धरोह सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय

विभागीय स्तर पर योजना में दूरदर्शिता की कमी से समय पर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ और ₹ 1.74 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त लाभार्थी वांछित परिवहन सुविधाओं से वंचित रहे।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के भाग 2 के अंतर्गत गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और अन्य मामलों में, विभाग से निर्माण कार्यों के निष्पादन से पूर्व बाधा रहित भूमि सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। प्रमुख अभियंता ने सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने से पहले भूमि का स्पष्ट मालिकाना हक सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देश जारी किए थे (मई 2008)।

कांगड़ा जिले में पांच ग्रामों⁵⁶ को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड⁵⁷ की आर.आई.डी.एफ.⁵⁸ स्कीम के अंतर्गत 5.985 किलोमीटर लंबी⁵⁹ बंडी-धरोह-वाया-नगनपट सड़क के निर्माण के लिए ₹ 3.54 करोड़ का अनुमोदन दिया गया था (फरवरी 2010)। मुख्य अभियंता, उत्तरी क्षेत्र, धर्मशाला द्वारा ₹ 3.64 करोड़ के लिए सड़क निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी (अप्रैल 2010)। निर्माण कार्य ₹ 3.05 करोड़ के लिए कांगड़ा आधारित संविदाकार को दिया गया था (अक्टूबर 2010) और अक्टूबर 2012 में पूर्ण किये जाने के लिए अनुबद्ध था।

⁵⁶ बनोई, भोई, नगनपट, कल्यारा तथा ऊपरी ओडर

⁵⁷ नाबार्ड: कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

⁵⁸ आर.आई.डी.एफ.- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

⁵⁹ प्रथम स्ट्रेच: 0.000 से 1.000 किलोमीटर; दूसरा स्ट्रेच: 1.000 से 3.960 किलोमीटर तथा तीसरा स्ट्रेच: 4.165 से 6.190 किलोमीटर

कांगड़ा मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) ने दर्शाया कि संविदाकार ने दिसम्बर 2010 में निर्माण कार्य आरम्भ किया था। तथापि, संविदाकार ने निजी भूमि (किलोमीटर 0.0 से 3.960, किलोमीटर 4.165 से 4.500 तथा किलोमीटर 5.690 से 6.190) तथा वन भूमि (किलोमीटर 4.500 से 5.690) की अंतर्ग्रस्तता के कारण अनुबद्ध अवधि के भीतर निर्माण की गति प्राप्त नहीं की थी। जिला प्रशासन द्वारा सीमा सुरक्षा बल टुकड़ी की प्रतिस्थापना के लिए भूमि चिह्नित (फरवरी 2009) किए जाने के कारण किलोमीटर 0.500 से 1.000 पर निर्माण कार्य रूका हुआ था (जुलाई 2011)। किलोमीटर 0.638 में फोर्मेशन कटिंग, किलोमीटर 3.550 में क्रास ड्रेनेज, किलोमीटर 2.400 में ग्रेनुलर सब बेस कोर्स तथा वियरिंग उपलब्ध करवाने तथा बिछाने तथा किलोमीटर 0.500 पैराफिटों का निर्माण कार्य निष्पादित किया गया था। संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि विभाग ने नाबार्ड प्राधिकरण को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु आवश्यक स्वीकृति और निजी भूमि का स्पष्ट मालिकाना हक सुनिश्चित नहीं किया था। इस बीच में, विभाग ने ₹ 1.74 करोड़ का व्यय किया था लेकिन निर्माण कार्य जुलाई 2014 तक अपूर्ण था।

इसे इंगित किए जाने पर राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2014) कि निर्माण कार्य सड़क के संरेखन में निजी तथा वन भूमि की अंतर्ग्रस्तता के कारण विलम्बित हुआ था। आगे यह बताया गया कि निजी भूमि के मालिक हिस्सेदार थे और विभाग के नाम पर भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप में समस्त भूमि मालिकों की एक साथ उपलब्धता होने पर आरम्भ की जायेगी। तथ्य यह है कि विभाग ने सड़क की वैचारिकता से पूर्व बाधा रहित भूमि सुनिश्चित नहीं की थी।

अतः विभागीय स्तर पर योजना में दूरदर्शिता की कमी से समय पर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ और ₹ 1.74 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, इसके अतिरिक्त लाभार्थी वांछित सुविधा से वंचित रहे।

3.18 सड़क तथा पुल के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय

सड़क तथा पुल निर्माण कार्य की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

जिला सोलन में आठ⁶⁰ ग्रामों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड⁶¹ (आर.आई.डी.⁶² एफ-XIII) के अन्तर्गत ₹ 2.34 करोड़ के लिए भुड़-गुलारवाल-भटौली कलां-घराडे-पट्टा सड़क⁶³ (लम्बाई 15.600 किलोमीटर) का निर्माण अनुमोदित किया था (अक्टूबर 2007)। 16.105 किलोमीटर पर पुल सहित निर्माण कार्य⁶⁴ एक संविदाकार को इसे 29 नवम्बर 2009 तक पूर्ण किये जाने की शर्त पर ₹ 1.73 करोड़ की निविदा लागत पर दिया गया था (मई 2008)।

कसौली मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2013) तथा आगे एकत्रित सूचना (जनवरी 2014) ने दर्शाया कि संविदाकार ने मई 2008 में निर्माण कार्य आरम्भ किया था और निर्माण कार्य की अनुबंधित गति प्राप्त नहीं की थी। 15.000 किलोमीटर में फोर्मेशन कटिंग, क्रास ड्रेनेज 9.000 किलोमीटर, सोलिंग 3.300 किलोमीटर तथा साइड ड्रेन 1.700 किलोमीटर सहित ₹ 1.28 करोड़ के मूल्य का निर्माण कार्य

⁶⁰ घराडे, फोफटा, कटल, दूनी, नली, एखू, गाटीवाला तथा बरघु

⁶¹ नाबार्ड: कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

⁶² आर.आई.डी.एफ- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

⁶³ 15.000 से 30.600 किलोमीटर

⁶⁴ फोर्मेशन कटिंग: 15.600 किलोमीटर; क्रास ड्रेनेज: 15.600 किलोमीटर; सोलिंग: 15.600; साइड ड्रेन: 15.600; पैराफिट: 15.600 तथा पुल: 24 मीटर स्पैन

निष्पादित करने के पश्चात् संविदाकार ने मंडल से पुल के प्रारूप की गैर-प्राप्ति के कारण निर्माण कार्य रोक दिया था (मार्च 2010)। मंडल ने 31 मार्च 2011 तक समय वृद्धि दी थी लेकिन संविदाकार ने इस तर्क पर निर्माण कार्य पुनः आरम्भ नहीं किया कि निर्माण कार्य पूर्व निर्दिष्ट दरों पर निष्पादित नहीं किया जा सकता था। संविदाकार को पुल का प्रारूप मई 2011 में उपलब्ध करवाया गया था अर्थात् परियोजना की पूर्णता की निर्धारित तिथि से 18 महीने पश्चात्। तथापि संविदाकार निर्माण कार्य का निष्पादन करने में असफल रहा था। अंततः निर्माण कार्य को जुलाई 2012 में संविदा अनुबंध के विभिन्न खंडों के अंतर्गत कोई भी परिसमाप्त नुकसान/शास्ति का उद्ग्रहण किए बिना बंद करना पड़ा था क्योंकि विलम्ब मुख्यतः विभाग द्वारा समय पर पुल का प्रारूप प्रस्तुत करने में अक्षमता के कारण था। इस बीच निर्माण कार्य पर ₹ 1.46 करोड़ का व्यय किया गया था।

मंडल ने शेष निर्माण कार्य का संशोधित प्राक्कलन ₹ 0.85 करोड़ के लिए तैयार किया (मई 2013) जोकि ₹ 1.73 करोड़ के पूर्व प्राक्कलन से ₹ 0.58 करोड़ अधिक था, जो कि मुख्य अभियंता (दक्षिण क्षेत्र) शिमला द्वारा अनुमोदित किया गया (जून 2013)। निर्माण कार्य जनवरी 2014 तक निलम्बित अवस्था में था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंडल के अधिशासी अभियंता ने बताया (जनवरी 2014) कि पुल का निर्माण स्थल निश्चित न किये जाने के कारण संविदाकार को समय पर प्रारूप उपलब्ध नहीं करवाया जा सका था। शेष निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने से पहले समस्त संहिताबद्ध औपचरिकताएं पूर्ण की जानी चाहिए थी।

अतः सड़क तथा पुल निर्माण कार्य की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम अप्रैल 2014 में संदर्भित किए गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग

3.19 पर्यटक सर्किटों का समेकित विकास के अंतर्गत निर्माण कार्यों के गैर-निष्पादन के कारण निधियों का अवरोधन

राज्य में पर्यटक सर्किटों के समेकित विकास के लिए निर्माण कार्यों/सुविधाओं के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा उचित योजना की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 9.66 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता का अवरोधन।

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने “पर्यटक सर्किटों के समेकित विकास” की स्कीम के अंतर्गत विभिन्न पर्यटक सर्किटों में 98 सुविधाओं जैसे जन सुविधाओं का प्रावधान, पर्यटक सूचना केन्द्रों, पार्कों, वर्षा शालिकाओं का निर्माण, कैंपिंग स्थलों, पिकनिक स्थलों, ट्रेक मार्गों, पब्लिक पार्किंगों का विकास, आदि, के सृजन के लिए ₹ 12.08 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता संस्वीकृत की थी (सितम्बर 2009 से दिसम्बर 2010)। भारत सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को ₹ 9.66 करोड़ की प्रथम किस्त नवंबर 2009 से जनवरी 2011 के मध्य जारी की थी और ₹ 2.42 करोड़ की शेष राशि, तथापि, राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद जारी की जानी थी। निर्माण कार्य स्वीकृति की तिथि से 30 महीनों के भीतर पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे।

निदेशक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2013) और निदेशक से प्राप्त सूचना (अगस्त 2014) ने दर्शाया कि भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 9.66 करोड़ में से विभाग ने निर्माण कार्य/परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विभिन्न निष्पादन अभिकरणों को ₹ 8.11 करोड़ जारी किए थे (जनवरी 2010 से मार्च 2011)। तथापि, निर्माण कार्य/परियोजनाएं उचित निर्माण स्थलों, की अनुपलब्धता, निविदाओं/प्राथमिकताओं को अंतिम रूप न दिए जाने, आदि के कारण आरम्भ नहीं की गई थी और ₹ 9.66 करोड़ की समस्त राशि चार से पांच वर्षों के लिए अप्रयुक्त (विभाग: ₹ 1.55 करोड़ तथा निष्पादन अभिकरण: ₹ 8.11 करोड़) रही। राशि के गैर-उपयोग के कारण भारत सरकार ने अगस्त 2014 तक राज्य सरकार को ₹ 2.42 करोड़ की दूसरी किस्त भी जारी नहीं की थी। इसके अतिरिक्त अपेक्षित पर्यटन सुविधाओं का सृजन नहीं किया जा सका था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए निदेशक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन ने बताया (अगस्त 2014) कि निर्माण कार्य का निष्पादन सीमित कार्य अवधि तथा क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक स्थितियों के कारण समय पर आरम्भ नहीं किया जा सका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये सभी पक्ष परियोजना प्रस्तावों में ध्यान में रखे जाने चाहिए थे तथा योजना चरण में सम्मिलित किये जाने चाहिए थे।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम मई 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

परिवहन विभाग (हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन तथा विकास प्राधिकरण)

3.20 बस अड्डा के निर्माण पर निरर्थक व्यय

रोहडू में बस अड्डा के निर्माण के लिए प्राधिकरण की अनुचित योजना तथा निधि प्रबंधन से ₹ 76 लाख का निरर्थक व्यय हुआ।

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन तथा विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने ₹ 6.48 करोड़ के लिए रोहडू (जिला शिमला) में नवीन बस अड्डे के निर्माण का प्रशासनिक अनुमोदन दिया था (जनवरी 2007) और इसका निष्पादन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सुपुर्द किया था (मई 2007)। आगे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य एक संविदाकार को इसे एक वर्ष में पूर्ण करने की शर्त पर ₹ 5.93 करोड़ के लिए दिया था (मई 2007)। प्राधिकरण ने मई 2007 से जनवरी 2008 के मध्य उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए ₹ 50 लाख जारी किए थे।

प्राधिकरण के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2012) तथा एकत्रित सूचना (मार्च 2014) ने दर्शाया कि संविदाकार ने बस अड्डे का निर्माण कार्य मई 2007 में आरम्भ किया था। चूंकि प्राधिकरण के पास बस अड्डे की पूर्णता के लिए आगे निधियां नहीं थी, यह निधियों के जारीकरण के लिए राज्य सरकार के पास गया (जुलाई 2007)। तथापि राज्य सरकार ने प्राधिकरण को अपने स्तर पर निधियों के संवहन के लिए निर्देश दिये (जनवरी 2008) क्योंकि बस अड्डे का निर्माण प्राधिकरण की प्राथमिकता सूची में था। इस बीच संविदाकार ने ₹ 76 लाख के मूल्य का एटिक तल स्तर तक बस अड्डे के निर्माण कार्य का निष्पादन करने के पश्चात बिल के गैर-भुगतान के कारण आगे निर्माण कार्य रोक दिया (सितम्बर 2010)। प्राधिकरण ने संविदाकार को भुगतान करने के लिए ₹ 26 लाख की राशि जारी की थी (नवम्बर 2011) और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को भी निधियों की कमी के कारण संविदा अनुबंध बंद करने के लिए कहा था। निर्माण कार्य सितम्बर 2010 से निलम्बित अवस्था में था और बस अड्डे के निर्माण पर किया गया ₹ 76 लाख का निवेश मई 2014 तक निरर्थक रहा।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012, अप्रैल 2013 तथा जून 2013) राज्य सरकार ने परियोजना की लागत कम करने तथा तदनुसार योजना में बदलाव करने के निर्देशों के साथ प्राधिकरण को ₹ 1.95 करोड़

जारी किये (जनवरी 2014)। तथापि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से योजना संशोधित करवाने में प्राधिकरण की असफलता के कारण निर्माण कार्य मई 2014 तक आरम्भ नहीं किया गया था।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया (मार्च 2014) कि निर्माण कार्य अपर्याप्त निधियों के कारण छोड़ दिया गया था और निधियां जुटाने का मामला बार-बार राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। उत्तर प्राधिकरण के स्तर पर अनुचित योजना दर्शाता है क्योंकि निर्माण कार्य पर्याप्त निधियां सुनिश्चित किए बिना आरम्भ किया गया था जिसके कारण बस अड्डे का निर्माण समयबद्ध रूप में नहीं किया जा सका था।

सरकार को लेखापरीक्षा परिणाम अप्रैल 2014 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

जनजातीय विकास विभाग

3.21 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमों का निष्पादन

2011-14 के दौरान दो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा पूर्व तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त किये बिना ₹ 13.35 करोड़ के लिए 552 कार्य संस्वीकृत किये थे। स्कीम के दिशा-निर्देशों के विपरीत उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 2.15 करोड़ के लिए संस्वीकृत 124 अस्वीकार्य कार्य भी संस्वीकृत किये गए थे। पुल के निर्माण कार्यों के पूर्ण न होने के कारण तीन पुलों तथा दो सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर ₹ 10.21 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत राज्य योजना विभाग राज्य के कुल परिव्ययों के नौ प्रतिशत विभाग को आवंटित करता है जो बदले में विभाज्य परिव्ययों को राज्य में पांच में से प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को तथा अविभाजित परिव्ययों को सहायता अनुदान आदि के रूप में प्रशासनिक विभागों को आवंटित करता है। 2011-14 की अवधि को आवृत करने वाली जनजातीय क्षेत्र उप-योजना की एक लेखापरीक्षा आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग, शिमला तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं भरमौर तथा स्पति स्थित काजा के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से जून-अगस्त 2014 के दौरान संचालित की गई थी। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, केन्द्र बजट, सामुदायिक विकास-2515 लघु निर्माण कार्य तथा अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए इन दो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं में 13 कार्यकारी अभिकरणों⁶⁵ में छात्रावासों की स्कीम के निष्पादन अभिलेखों की भी नमूना जांच की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत हैं:

3.21.1 निधियों का आवंटन एवं व्यय

जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत निधियां सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना तथा केन्द्र बजट स्कीमों के सम्बंध में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को तथा लघु कार्यों के सम्बन्ध में विकास खण्डों की आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग द्वारा संस्वीकृति हेतु उपलब्ध करवाई हैं। 2011-14 के दौरान ₹ 80.25 करोड़⁶⁶ के आवंटन के प्रति पांच एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं/ विकास खण्डों ने स्कीमों/ निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु कोषागार से ₹ 80.33 करोड़⁶⁷ आहरित किये थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.08 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसको जुलाई 2014

⁶⁵ खण्ड विकास अधिकारी: भरमौर तथा काजा स्थित स्पति; हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल: काजा स्थित स्पति; ग्राम पंचायतें: भरमौर, चोबिया, दनखड़ा, घरेड़, गरीमा, सेंचुइन, होली, खुरीक, टैबो तथा टूंडा

⁶⁶ 2011-12: ₹ 24.63 करोड़; 2012-13: ₹ 29.62 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 26.00 करोड़

⁶⁷ 2011-12: ₹ 24.63 करोड़; 2012-13: ₹ 29.70 करोड़ तथा 2013-14: ₹ 26.00 करोड़

तक विनियोजित नहीं किया गया था। यद्यपि, किया गया व्यय उपरोक्त अवधि के दौरान आवंटित निधियों के लगभग बराबर था, व्यय मात्र सरकारी लेखों से आहरित राशि को प्रतिबिम्बित करता है, न की उस राशि को जो वास्तव में स्थल पर निष्पादित कार्यों पर व्यय की गई है।

3.21.1.1 कार्यकारी अभिकरणों के पास उपलब्ध निधियां एवं उनका जारीकरण

राज्य सरकार के अनुदेशों (मई 2004) के अनुसार निधियों का प्रयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना था तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राशि कोषागार में जमा की जानी थी। इसी तरह, सीमा क्षेत्र विकास परियोजना निधियों का बैंकों में रखा जाना भी पूर्णतया प्रतिबंधित था। नमूना जांचित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों ने 2011-14 के दौरान कार्यकारी अभिकरणों को कुल उपलब्ध ₹ 29.05 करोड़ में से ₹ 28.44 करोड़ जारी किये तथा उपरोक्त अनुदेशों की अवमानना में ₹ 0.70 करोड़ से लेकर ₹ 3.12 करोड़ के मध्य की निधियां बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त रहीं। इसी तरह, नमूना जांच किये गये खण्डों तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के काजा मण्डल ने 2011-14 के दौरान विभिन्न विकासशील कार्यों पर ₹ 21.04 करोड़ की कुल उपलब्धता के प्रति ₹ 14.11 करोड़ (67 प्रतिशत) व्यय किये तथा ₹ 6.93 करोड़ की राशि मार्च 2014 तक बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी। इसके अतिरिक्त, खण्ड विकास अधिकारी स्पति स्थित काजा ने ₹ 1.12 करोड़ चार गैर सरकारी संगठनों⁶⁸ को संस्वीकृत किये तथा नवम्बर 2011 तथा सितम्बर 2012 के मध्य यह सुनिश्चित किये बिना कि वे किसी विदेशी सहायता को प्राप्त नहीं कर रहे थे ₹ 0.76 करोड़ छः कार्यों के निष्पादन हेतु जारी किये थे।

सम्बंधित परियोजना अधिकारियों ने बताया (मई-जुलाई 2014) कि निधियां बजट व्यपगत से बचने की अपेक्षा में अग्रिम के रूप में आहरित की गई थी तथा कार्य की अधिकता के कारण प्रयोग नहीं की गई थी। उत्तर राज्य सरकार के उपरोक्त अनुदेशों के अनुरूप नहीं है क्योंकि बहुत राशि सरकारी खाते से बाहर रखी गयी थी।

3.21.1.2 निधियों को मानदण्डों के अनुसार जारी न करना तथा सतर्कता समितियों का गठन न करना

(i) अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (मई 2014) कि खण्ड विकास अधिकारी, भरमौर ने 2009-14 के दौरान विभिन्न समितियों को 79 निर्माण कार्यों⁶⁹ के निष्पादन हेतु ₹ 76.68 लाख प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 107 में अन्तर्निहित मानकों के आधिक्य में चार किशतों के बजाए तीन किशतों में अर्थात् प्रथम किशत ₹ 31.84 लाख; द्वितीय किशत ₹ 40.58 लाख तथा तृतीय किशत ₹ 4.25 लाख की राशि जारी की जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय किशतों में ₹ 12.67 लाख तथा ₹ 21.41 लाख की राशि अधिक जारी की गई। इन समितियों द्वारा कार्यों के निष्पादन के अभिलेख समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, भरमौर, द्वारा उनको अनुरक्षित नहीं रखा गया था।

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 108 में प्रावधान है कि सतर्कता समितियों के पास ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले समस्त कार्य इन कार्यों के सम्बंध में अनुरक्षित रखे जाने वाले लेखा एवं अभिलेख समेत के निरीक्षण की शक्ति होगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2014 तक निष्पादन हेतु विभिन्न समितियों को सुपुर्द कार्यों की कार्यप्रणाली पर निगरानी हेतु

⁶⁸ सपन फाउण्डेशन सोसायटी, काजा: दो कार्य; योंटन सोसायटी फॉर कॉमन स्पति वेलफेयर, रंगरिक: एक कार्य; प्रधान, बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय संस्कृति अध्ययन संस्थान, ताबो: दो कार्य तथा निदेशक, स्पति बाल गृह स्कूल, रंगरिक स्थित मुनसेलिंग: एक कार्य

⁶⁹ विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना: 25 कार्यों हेतु ₹ 29.97 लाख; मूल बजट: 20 कार्यों हेतु ₹ 13.42 लाख तथा सामुदायिक विकास-2515 लघु कार्य: ₹ 33.29 लाख 34 कार्यों हेतु

खण्ड विकास अधिकारी, भरमौर अथवा सम्बंधित ग्राम पंचायतों द्वारा कोई सतर्कता समिति गठित नहीं की गई थी।

तथ्यों को स्वीकारते हुए खण्ड विकास अधिकारी, भरमौर ने बताया (जून 2014) कि भविष्य में निधियों को जारी करने के मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

3.21.1.3 परिसम्पत्ति पंजिकाओं का अनुरक्षण

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा केन्द्र बजट स्कीम के दिशा-निर्देशों में सम्बंधित पंचायत/कार्यकारी अभिकरण/विभाग के स्वामित्व में आम जनता के लाभ वाली परिसम्पत्तियों के सृजन का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 नमूना जांचित कार्यकारी अभिकरणों द्वारा 2011-14 के दौरान उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की परिसम्पत्ति पंजिकाएं अनुरक्षित नहीं की गई थी। अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल स्पीटी स्थित काजा ने बताया (जुलाई 2014) कि परिसम्पत्ति पंजिका स्टाफ की कमी के कारण अनुरक्षित नहीं की गई थी तथा अन्य नमूना जांचित कार्यकारी अभिकरणों ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया (मई-जुलाई 2014) कि भविष्य में परिसम्पत्ति पंजिका तैयार कर ली जाएगी।

3.21.2 कार्यों का निष्पादन

3.21.2.1 आकलन तैयार नहीं करना

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं केन्द्र बजट की स्कीम के दिशा-निर्देश अनुबंध करते हैं कि कार्यों के आकलन की संस्वीकृति से पूर्व कार्यकारी अभिकरणों के तकनीकी स्टाफ से तकनीकी रूप से अनुमोदित करवाए जाने चाहिए। यह देखने में आया था कि 2011-14 के दौरान एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत ₹ 13.35 करोड़ लागत वाले 552 कार्य⁷⁰ कार्यकारी अभिकरणों के तकनीकी स्टाफ से पूर्व तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किये बिना नमूना जांच किये गये परियोजना अधिकारियों के द्वारा संस्वीकृत किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुए जैसा कि परिच्छेद 3.21.2.4 में दर्शाया गया है। परियोजना अधिकारियों ने बताया (मई-जुलाई 2014) कि समय बाध्यताओं के कारण तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त नहीं की जा सकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य के उचित निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु संस्वीकृतियां अनिवार्य थी।

3.21.2.2 कार्यों की अनियमित संस्वीकृति एवं निष्पादन

केन्द्र बजट नियमावली, 1995 निर्माण कार्यों की मुरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए निधियों की संस्वीकृति प्रतिबंधित करती है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, अभिकरणों अथवा संगठनों से सम्बंधित कार्यालय, आवास तथा अन्य भवनों का निर्माण, सभी प्रकार के मुरम्मत कार्य एवं अन्य भवन, सभी प्रकार के मुरम्मत कार्य तथा पूजा अर्चना वाले स्थानों के भीतर निर्माण कार्य अनुमत नहीं थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त नियमों के विपरीत, परियोजना अधिकारी, एकीकृत जन-जातीय विकास कार्यक्रम भरमौर ने जुलाई 2007 तथा अगस्त 2013 के मध्य ₹ 9.55 लाख की लागत वाले 13 निर्माण कार्य पंचायत घरों, सरायों, महिला मण्डल भवनों, स्कूलों आदि जैसी परिसम्पत्तियों की मुरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु संस्वीकृत किया। भरमौर तथा काजा के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों ने

⁷⁰

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना: ₹ 0.95 करोड़ लागत वाले 75 कार्य; मूल बजट: ₹ 0.91 करोड़ लागत वाले 138 कार्य, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: ₹ 7.52 करोड़ लागत वाले 88 कार्य तथा सामुदायिक विकास-2515 लघु कार्य: ₹ 3.97 करोड़ लागत वाले 251 कार्य

महिला मण्डल भवनों के निर्माण, सामुदायिक भवनों की साज-सज्जा, सरकारी भवनों के सौन्दर्यीकरण/निर्माण/मुरम्मत, पूजा अर्चना स्थलों के भीतर निर्माण कार्य आदि जैसे 111 अस्वीकार्य कार्यों के निर्माण के लिए ₹ 2.05 करोड़⁷¹ संस्वीकृत (सितम्बर 2003-फरवरी 2014) किये थे। स्कीमों के अन्तर्गत अस्वीकार्य कार्यों के निर्माण हेतु ₹ 2.15 करोड़ के अपवर्तन करने की एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं की कार्रवाई अनियमित थी।

इसी प्रकार, ₹ 5.36 लाख (2012-14 के दौरान ₹ 35.74 लाख के आवंटन का 15 प्रतिशत) के अनुमत्य प्रावधान के प्रति परियोजना अधिकारी, भरमौर ने पक्के रास्ते के निर्माण के सम्बन्ध में 18 कार्यों के निष्पादनार्थ ₹ 20.15 लाख संस्वीकृत किये थे जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा जारी (मार्च तथा सितम्बर 2000) अनुदेशों के विपरीत ₹ 14.79 लाख अधिक जारी किये गए थे।

इसके अतिरिक्त, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, भरमौर के परियोजना अधिकारी ने अगस्त 2006 तथा फरवरी 2014 के मध्य ₹ 79.11 लाख की लागत वाले 79 कार्यों का निष्पादन सरकारी अभिकरणों के बजाए विभिन्न समितियों को सौंप दिया था जो कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना नियमावली के प्रावधानों के विपरीत था।

परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, भरमौर ने बताया कि (मई 2014) मुरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य, अस्वीकृत कार्य एवं ग्रामीण रास्तों के लिए निधियां सम्बंधित विधायकों/परियोजना सलाहकार समितियों की सिफारिशों पर संस्वीकृत की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित नियमानुसार कार्यों को संस्वीकृत करवाया जाना चाहिए था।

3.21.2.3 कार्यों की स्थिति

स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/परियोजना अधिकारियों द्वारा संस्वीकृत कार्य संस्वीकृति की तिथि से 12 से 18 महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किये जाने चाहिए थे।

यह देखा गया था कि नमूना जांचित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों के द्वारा ₹ 16.50 करोड़ के लिए संस्वीकृत (सितम्बर 2001 तथा मार्च 2013 के मध्य) 228 कार्य⁷² जुलाई 2014 तक पूर्ण नहीं किए गए थे तथा इन कार्यों में ₹ 14.51 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ की अव्यययित राशि का अवरोधन हुआ। इसी प्रकार ₹ 2.16 करोड़ के लिए संस्वीकृत (अक्टूबर 2010 और मार्च 2014 के मध्य) 93 कार्य⁷³ जुलाई 2014 तक प्रारम्भ नहीं किए गए थे तथा सम्पूर्ण राशि विगत तीन से 46 महीनों के लिए बैंकों में अव्यययित पड़ी थी।

खण्ड विकास अधिकारियों तथा सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जून-जुलाई 2014) कि निर्माण कार्य सीमित कार्य मौसमों के कारण अपूर्ण पड़े थे तथा ग्राम पंचायत द्वारा संहिताबद्ध औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण शुरू नहीं किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि ये सभी घटक कार्यों की संस्वीकृति/निष्पादन से पूर्व देख लिए जाने चाहिए थे।

⁷¹ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: ₹ 1.16 करोड़ लागत वाले 13 कार्य तथा विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना: ₹ 0.89 करोड़ लागत वाले 98 कार्य

⁷² विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना: ₹ 0.40 करोड़ लागत वाले 32 कार्य; मूल बजट: ₹ 0.22 करोड़ लागत वाले 31 कार्य; सामुदायिक विकास -2515 लघु कार्य: ₹ 1.80 करोड़ की लागत वाले 111 कार्य तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: ₹ 14.08 करोड़ लागत वाले 54 कार्य

⁷³ विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना: ₹ 0.09 करोड़ लागत वाले 13 कार्य; मूल बजट: ₹ 0.17 करोड़ लागत वाले 26 कार्य; सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: ₹ 1.47 करोड़ लागत वाले 22 कार्य तथा सामुदायिक विकास -2515 लघु कार्य: ₹ 0.43 करोड़ लागत वाले 32 कार्य

3.21.2.4 पुलों एवं सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर निरर्थक व्यय

स्पिती घाटी (लाहौल एवं स्पिती जिला) में सात गांवों को सड़क सम्पर्क उपलब्ध करवाने हेतु सहायक आयुक्त काजा स्थित स्पिती ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नाबार्ड तथा ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत ₹ 3.17 करोड़ (₹ 9.39 करोड़ में संशोधित) के लिए तीन पुलों⁷⁴ (सितम्बर 2001 और अक्टूबर 2002 के मध्य) के निर्माण का प्रशासनिक अनुमोदन दिया तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के स्पिती मण्डल को कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 13.42 करोड़⁷⁵ जारी किए (मार्च 2014 तक)। स्पिती मण्डल के अभिलेखों (जुलाई 2014) ने निम्नवत् कमियां दर्शाई:

(i) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने स्पिती नदी के ऊपर हंसा-क्यामो पुल का निर्माण ₹ 98.48 लाख के लिए एक संविदाकार को मई 2010 तक इसे पूर्ण किए जाने के अनुबन्ध सहित अधिनिर्णित (मई 2008) किया। क्यामो की तरफ के एबटमेंट के कार्य के निष्पादन उपरान्त संविदाकार ने बिना कोई कारण बताए कार्य रोक दिया (सितम्बर 2012)। कार्य दो वर्षों के लिए निलम्बित अवस्था में पड़ा रहा था। इसी दौरान, मार्च 2013 तक कार्य पर ₹ 2.72 करोड़ (सिविल कार्य: ₹ 1.34 करोड़ तथा वेली पुल का उपार्जन: ₹ 1.38 करोड़) का व्यय किया गया था। पुल कार्य के पूर्ण न होने के कारण ₹ 34.38 लाख की लागत पर पूर्ण (अगस्त 2003) पहुंच मार्ग भी उपयोग में नहीं लाया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 3.06 करोड़ (पुल: ₹ 2.72 करोड़ तथा सड़क: 0.34 करोड़) का व्यय निष्फल रहा।

(ii) टांगटी योग्मा गोमा से खार गांव सड़क पर पिन नदी के ऊपर 97.60 मीटर स्पैन सस्पेंशन वेली पुल (सड़क दूरी 0/397) का निर्माण एक संविदाकार को ₹ 1.19 करोड़ (जून 2007 में ₹ 4.03 करोड़ के लिए संशोधित) के लिए तथा मई 2009 तक पूर्ण किए जाने के लिए अधिनिर्णित (मार्च 2007) किया था। संविदाकार द्वारा निष्पादन हेतु कार्य जून 2007 में प्रारम्भ किया गया था। जब खुदाई (₹ 0.36 करोड़ के मूल्य पर) का कार्य प्रगति पर था, नदी में आई बाढ़ ने (10 अगस्त 2007) उपरोक्त तिथि तक निष्पादित किए गए सम्पूर्ण कार्य को बहा दिया। पुल का निर्माण स्थल 90 मीटर धारा के प्रतिकूल परिवर्तित कर दिया गया था (नवम्बर 2007) तथा तदनुसार नये रेखा-चिह्न विकसित किए गए थे। नये स्थल पर कार्य अगस्त 2008 में प्रारम्भ किया गया था किन्तु कार्य की धीमी गति के कारण उप-संरचना का निर्माण कार्य नवम्बर 2014 तक कार्य पर ₹ 3.40 करोड़ के व्यय तथा नवम्बर 2010 तक संविदाकार को समय-सीमा वृद्धि प्रदान करने के बावजूद पूर्ण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त पुल के पूर्ण न किए जाने के कारण टांगटी योग्मा गोमा से गांव खार तक ₹ 90.31 लाख की लागत पर निर्मित (फरवरी 2010) पांच किलोमीटर सम्पर्क सड़क को भी इसके पूर्ण होने के चार वर्षों से अधिक समय के बीतने के बावजूद वाहन-परिवहन के लिए खोला नहीं जा सका था। परिणामस्वरूप ₹ 4.30 करोड़ (पुल: ₹ 3.40 करोड़ तथा सड़क: ₹ 0.90 करोड़) का व्यय निष्फल रहा।

(iii) चिच्चम से किब्बर सड़क पर सम्भा लामा नाला के उपर 111.10 मीटर स्पैन चिच्चम पुल (सस्पेंशन प्रकार) का निर्माण कार्य ₹ 2.61 करोड़ के लिए एक संविदाकार को अधिनिर्णित किया था (दिसम्बर 2002) तथा जो जनवरी 2006 तक पूर्ण किया जाना अनुबंधित था। संविदाकार ने जनवरी 2003 में कार्य प्रारम्भ किया था। ₹ 2.85 करोड़ का व्यय करने के बाद चिच्चम की ओर का लंगरगाह खण्ड

⁷⁴ ₹ 0.46 करोड़ (₹ 1.75 करोड़ से संशोधित) के लिए हंसा एवं क्यामो गांवों के मध्य स्पिती नदी पर पुल, ₹ 0.46 करोड़ (संशोधित ₹ 1.75 करोड़), ₹ 1.44 करोड़ (संशोधित ₹ 4.04 करोड़) के लिए पिन नाला के ऊपर से टांगटी योग्मा गोमा से गांव खार तक वाहनीय पुल और ₹ 1.27 करोड़ (संशोधित ₹ 3.60 करोड़) के लिए चिच्चम से किब्बर सड़क पर संभा लामा नाला के ऊपर से पुल

⁷⁵ हंसा तथा क्यामो पुल: ₹ 3.59 करोड़ (बी.ए.डी.पी.: ₹ 0.40 करोड़ तथा नाबार्ड: ₹ 3.19 करोड़), टांगटी पुल: ₹ 5.78 करोड़ (बी.ए.डी.पी.: ₹ 2.15 करोड़; 13वां वित्त आयोग: ₹ 3.18 करोड़ तथा 5054 शीर्ष मुख्य पुल: ₹ 0.45 करोड़) और चिच्चम पुल: ₹ 4.05 करोड़ (बी.ए.डी.पी.: ₹ 3.60 करोड़ तथा 5054 शीर्ष मुख्य पुल: ₹ 0.45 करोड़)

तथा एबटमेंट पूर्ण कर लिये थे तथा किब्बर की ओर का लंगरगाह खण्ड प्रगति पर था किन्तु कार्य पूर्णता की अनुबंधित अवधि से नौ वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी निष्पादन कार्य की धीमी गति होने के कारण नवम्बर 2014 तक अपूर्ण पड़ा था।

अतः, उचित अनुश्रवण की कमी के कारण संविदाकार के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने तथा उपरोक्त पुलों की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने में विभागीय विफलता के कारण न केवल पुलों और सड़कों पर ₹ 10.21 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ बल्कि साथ में लाभार्थी वर्षों तक स्कीम के वांछित लाभों से वंचित रहे।

अधिकांशी अभियंता स्थिति स्थित काजा ने बताया (जुलाई 2014) कि पुलों के निर्माण में विलम्ब अल्प कार्य मौसमों/वातावरणीय स्थितियों, कठिन स्थलाकृति तथा पुल स्थल के परिवर्तन के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सभी घटकों को कार्य संस्वीकृत करने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

3.21.2.5 कार्यों के मासिक/तिमाही प्रगति प्रतिवेदनों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों द्वारा अक्टूबर 2003 तथा जुलाई 2013 के मध्य संस्वीकृत ₹ 15.44 करोड़⁷⁶ की लागत वाले 1116 कार्यों के न तो कार्यवार भौतिक एवं आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किये गए थे और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र जुलाई 2014 तक प्राप्त किये गए थे।

नमूना जांच किये गए एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारियों ने बताया (मई-जुलाई 2014) कि कार्यकारी अभिकरणों से कार्यवार भौतिक एवं आर्थिक मासिक/तिमाही प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए जाएंगे।

3.21.3 अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु छात्रावास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

3.21.3.1 छात्रावास भवनों के पूर्ण होने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला तथा भारतीय तकनीकी संस्थान, हमीरपुर में 213 छात्रों (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय: 88 तथा भारतीय तकनीकी संस्थान: 125) की अन्तर्ग्राही क्षमता वाले दो छात्रावास भवनों का निर्माण ₹ 7.84 करोड़ (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय: ₹ 3.61 करोड़ भारतीय तकनीकी संस्थान: ₹ 4.23 करोड़) की अनुमानित लागत पर भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2010 तथा फरवरी 2012 के दौरान संस्वीकृत किया गया था। ये भवन क्रमशः अक्टूबर 2012 तथा जनवरी 2014 तक पूर्ण किये जाने के लिए अनुबंधित किये गए थे।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि कार्य छः से 21 महीनों के मध्य अपने पूर्णता की समय सारणी से पीछे चल रहे थे तथा ₹ 4.03 करोड़ का व्यय किये जाने के बाद अभी भी अपूर्ण थे। छात्रावास भवनों के निर्माण की धीमी गति के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 4.03 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ बल्कि लाभार्थी भी छात्रावास भवन के वांछित लाभों से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा ₹ 3.81 करोड़

⁷⁶

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना: 163 निर्माण कार्य लागत ₹ 1.22 करोड़; मूल बजट: 249 निर्माण कार्य लागत ₹ 1.73 करोड़, सी.डी.-2515 लघु निर्माण कार्य: 500 निर्माण कार्य लागत ₹ 6.39 करोड़ और पिछड़ा क्षेत्र विकास योजना: 204 निर्माण कार्य लागत ₹ 6.10 करोड़

की दूसरी किश्त भी राज्य सरकार द्वारा ₹ 4.03 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण जुलाई 2014 तक जारी नहीं की गई थी।

उप-निदेशक, जनजातीय विकास विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि भारत सरकार द्वारा आगे की किश्तों को जारी न करने के कारण छात्रावास भवन अपूर्ण पड़े थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य की धीमी गति के कारण भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र देरी से भेजे गए थे अर्थात् क्रमशः मार्च 2014 तथा मई 2014 में।

यह देखा गया कि 2011-14 के दौरान ₹ 0.70 करोड़ से ₹ 3.12 करोड़ की निधियां बैंक बचत खाते में राज्य सरकार के निर्देशों (मई 2004) के विपरीत अप्रयुक्त पड़ी रहीं। नमूना जांच किए गए एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों ने उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 13.35 करोड़ की लागत वाले 552 कार्य बिना पूर्व तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त किए संस्वीकृत किए थे। स्कीमों के दिशा निर्देशों के विपरीत परियोजना अधिकारियों ने 124 अस्वीकार्य कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 2.15 करोड़ संस्वीकृत किए थे। तीन पुलों तथा दो सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर ₹ 10.21 करोड़ का किया गया व्यय पुल कार्यों के पूर्ण न होने के कारण निष्फल रहा।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष सितम्बर 2014 में सरकार को संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

शहरी विकास विभाग

3.22 पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए निधियों का अवरोधन

विभाग द्वारा पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए उचित योजना की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप पांच से छः वर्षों की अवधि के लिए ₹ 1.18 करोड़ के अवरोधन के अतिरिक्त लोगों को पार्किंग सुविधाओं से वंचित रखा गया।

राज्य वित्तीय नियमावली, 1971 के नियम 2.10 (ख) 5 में प्रावधान है कि उन कार्यों के सम्बन्ध में धन कोषागार से आहरित नहीं किया जाना चाहिए जिनको पूर्ण करने में अधिक समय लगने की संभावना होती है।

लोगों को पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने राजीव गांधी शहरी नवीकरण सुविधा स्कीम के अन्तर्गत ₹ 1.49 करोड़ की अनुमानित लागत पर तीन⁷⁷ पार्किंग स्थलों के निर्माण/विकास हेतु अनुमोदित (2007-09) किया तथा ₹ 1.18 करोड़ नगर निगम रामपुर (₹ 59.55 लाख) तथा दो नगर पंचायतों (चुवाड़ी: ₹ 26.00 लाख तथा ज्वालामुखी: ₹ 32.30 लाख) को जारी (फरवरी 2008-मार्च 2009) किया। रामपुर, चुवाड़ी तथा ज्वालामुखी स्थित पार्किंग स्थलों का निर्माण क्रमशः हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा नगर पंचायत ज्वालामुखी को सुपुर्द किया गया था। कार्य संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने के लिए अनुबन्धित किए गए थे।

निदेशक, शहरी विकास, शिमला के अभिलेखों (जनवरी 2014) की संवीक्षा तथा अन्य एकत्रित (जून 2014) सूचना ने दर्शाया कि हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण ने रामपुर स्थित पार्किंग स्थल का कार्य निष्पादित नहीं किया तथा सितम्बर 2013 में बिना कोई कारण बताए सम्पूर्ण राशि विभाग को लौटा दी थी। इसके बाद विभाग ने लोक निर्माण विभाग के पास कार्य निष्पादन हेतु निधियां निक्षेपित

77

चुवाड़ी, ज्वालामुखी और रामपुर

(अक्टूबर 2013) की। तथापि, लोक निर्माण विभाग ने भी आकलनों का निर्धारण न किए जाने के कारण जून 2014 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया था। चुवाड़ी तथा ज्वालामुखी स्थित निर्माण कार्य जून 2014 तक उचित स्थलों की अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं किए गए थे। सम्पूर्ण राशि पांच से छः वर्षों के लिए कार्यकारी अभिकरणों के पास अप्रयुक्त रही।

निदेशक (शहरी विकास) ने बताया (जून 2014) कि रामपुर स्थित कार पार्किंग के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा आकलनों का निर्धारण अभी प्रक्रियाधीन था। उन्होंने आगे बताया कि चुवाड़ी तथा ज्वालामुखी स्थित पार्किंग स्थलों के निर्माण हेतु नये स्थलों की अब पहचान की जा चुकी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने बिना उचित योजना के कोषागार से धन आहरित किया था।

अतः, विभाग द्वारा पार्किंग स्थलों के निष्पादन हेतु उचित योजना न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ का अवरोधन हुआ तथा क्षेत्रों के लोगों को अभिप्रेत पार्किंग सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ा। इसके अतिरिक्त ₹ 91.85 लाख सरकारी खातों (हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण: ₹ 59.55 लाख तथा नगर पंचायत: ₹ 32.30 लाख) से बाहर रखने के परिणामस्वरूप राज्य अधिकोष को ₹ 41.43 लाख⁷⁸ की ब्याज हानि⁷⁹ हुई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष अप्रैल 2014 में सरकार को संदर्भित कर दिए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.23 बालिका कल्याण एवं संरक्षण के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन

2011-14 के दौरान किशोरी बालाओं के सशक्तिकरण हेतु किशोरी शक्ति योजना एवं राजीव गांधी स्कीम के अंतर्गत 40 से 49 प्रतिशत पहचान की गई बालिकाएं (11-18 वर्ष आयु की) आवृत्त नहीं की गई। उपरोक्त अवधि के दौरान बेटी है अनमोल योजना में पहचान किए गए 98,776 लाभार्थियों में से 77,213 आवृत्त किए गए थे, अतः 21,563 अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना स्कीम के अंतर्गत निर्मित बालिका आश्रमों में स्टाफ की कमी तथा मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी थी।

बालिकाओं के कल्याण एवं संरक्षण हेतु किशोरी शक्ति योजना, किशोर बालिका सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम, बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना तथा इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना समेत पांच स्कीमों राज्य में कार्यान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत सेवाओं को प्रदान करने की प्रभावशाली सुनिश्चितता के उद्देश्य के साथ 2011-12 से 2013-14 की अवधि को आवृत्त करने वाली लेखा परीक्षा अप्रैल 2014 से जून 2014 के दौरान राज्य में महिला एवं बाल-विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालयों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 12 जिला कार्यक्रम अधिकारियों तथा 12 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों प्रत्येक में से तीन⁸⁰ तथा 78 बाल विकास कार्यक्रम अधिकारियों में से छः⁸¹ तथा सात बालिका आश्रमों में से दो⁸² के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा संचालित की थी।

⁷⁸ ₹ 25.85 लाख (नगर निगम रामपुर के साथ फरवरी 2009 से सितम्बर 2013) और ₹ 15.58 लाख (नगर पंचायत ज्वालामुखी अप्रैल 2009 से मार्च 2014)

⁷⁹ राज्य सरकार की उधारों पर औसत ब्याज दर पर आकलित

⁸⁰ बिलासपुर, शिमला तथा सोलन

⁸¹ अर्की, बसन्तपुर, बिलासपुर, घुमारवीं, कण्डाघाट तथा ठियोग

⁸² दुर्गापुर तथा मशोबरा

3.23.1 वित्तीय सहायता एवं व्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बालिका कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 2011-14 के दौरान ₹ 54.39 करोड़⁸³ की उपलब्धता के प्रति ₹ 53.84 करोड़⁸⁴ का व्यय किया गया था तथा ₹ 0.55 करोड़ मार्च 2014 तक अप्रयुक्त रहे।

3.23.2 किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु किशोरी शक्ति योजना तथा राजीव गांधी स्कीम

किशोरी शक्ति योजना तथा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम सभी किशोरी बालिकाओं (11-18 वर्ष) के पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति के सशक्तिकरण एवं स्व: विकास, स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता, पोषण, परिवार कल्याण व प्रबन्ध तथा महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता के उत्थान के लिए लक्षित थी। किशोरी शक्ति योजना के लिए खण्ड-वार ₹ 1.10 लाख तथा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के लिए ₹ 3.80 लाख की अनुमोदित राशि तक हस्तक्षेप सीमित किया जाना था तथा व्यय राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान से किया जाना अपेक्षित था। 2011-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना आठ जिलों⁸⁵ के 46 खण्डों/परियोजनाओं में कार्यान्वित की जा रही थी तथा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम किशोरी शक्ति योजना के बदले में पायलट आधार पर राज्य के चार जिलों⁸⁶ के 32 खण्डों/परियोजनाओं को आवृत्त करते हुए प्रतिस्थापित की गई थी (सितम्बर 2010)।

3.23.2.1 लाभार्थियों की व्यापकता

2011-14 के दौरान पहचान किए गए लाभार्थी तथा उनके प्रति आच्छादन की स्थिति तालिका 3.23.1 में दी गई है।

तालिका-3.23.1

2011-14 के दौरान पहचान किए गए लाभार्थी तथा उनके प्रति आच्छादन की स्थिति

(संख्या में)

वर्ष	2011 की जनगणना के अनुसार किशोरी बालिकाओं की जनसंख्या	किशोरी शक्ति योजना		किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम		कुल		
		पहचान की गई	आवृत्त	पहचान की गई	आवृत्त	पहचान की गई	आवृत्त	कमी
2011-12	416804	221631	90810	156772	101643	378403	192453	185950 (49)
2012-13	420889	217064	130056	164027	97551	381091	227607	153484 (40)
2013-14	416663	214543	60541	163305	152215	377848	212756	165092 (44)

स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

तालिका-3.23.2 से देखा जा सकता है कि स्कीमों के अंतर्गत पहचान की गई बालिकाएं 2011 की जनगणना के अंतर्गत बालिकाओं (11-18 वर्ष) की जनसंख्या के अनुरूप नहीं थी तथा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 40 से 49 प्रतिशत तक पहचान की गई बालिकाएं भी आवृत्त नहीं की गई थी। इसने दर्शाया कि

⁸³ किशोरी शक्ति योजना: ₹ 1.46 करोड़; किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम: ₹ 36.73 करोड़; बी.एच.ए.वाई. ₹ 10.68 करोड़; मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना: ₹ 2.16 करोड़ तथा इंदिरा गांधी बाल सुरक्षा योजना: ₹ 3.36 करोड़

⁸⁴ किशोरी शक्ति योजना: ₹ 0.90 करोड़; किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम: ₹ 37.33 करोड़; बी.एच.ए.वाई.: ₹ 10.71 करोड़; मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना: ₹ 2.19 करोड़ तथा इंदिरा गांधी बाल सुरक्षा योजना: ₹ 2.71 करोड़

⁸⁵ बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल स्पिती, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा ऊना

⁸⁶ चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू तथा सोलन

विभाग 2011-14 के दौरान 11-18 वर्ष की आयु वर्ग की सभी किशोर बालिकाओं के पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति को सशक्त करने में विफल रहा ।

विभाग ने राज्य की जटिल भौगोलिक दशाओं को लाभार्थियों के कम आच्छादन तथा उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत कैम्पों/प्रशिक्षण इत्यादि के लिए परिजनों का अपने बच्चों को भेजने में हिचकिचाहट को आरोपित (अगस्त 2014) किया। तथापि, तथ्य यह रहा कि स्कीमें प्रभावशाली तरीके से कार्यान्वित नहीं की गई थी क्योंकि 2011-14 के दौरान बालिकाओं की एक बड़ी संख्या अनावृत्त रही ।

3.23.2.2 किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के अंतर्गत सखी-सहेलियों को प्रशिक्षण

इस स्कीम के अंतर्गत प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र पर किशोरी समूह के रूप में पहचाना जाने वाला 15-25 किशोरी बालिकाओं से अंतर्ग्रस्त एक समूह गठित किया जाना था। समूह में एक बालिका सखी के रूप तथा दो बालिकाएं सहेलियों के रूप में समूह के लिए पीयर अनुश्रवण गठित करने के लिए चयनित की जानी थी । इन चयनित सखी-सहेलियों को खण्ड स्तर पर एक दिन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया जाना था । प्रति परियोजना प्रत्येक 30 सखी-सहेलियों से अंतर्विष्ट 25 समूहों को प्रशिक्षण एक चरणबद्ध तरीके से दिया जाना अपेक्षित था ।

तथापि, यह देखने में आया था कि 2011-14 के दौरान 2400 समूहों में 72,000 सखी-सहेलियों को लक्ष्यित प्रशिक्षण के प्रति 2076 समूहों में 70695 सखी-सहेलियों को प्रशिक्षण दिया गया था तथा 1305 सखी-सहेलियां अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से वंचित रही ।

निदेशक, महिला एवं बाल विभाग ने बताया (जून 2014) कि जन शक्ति की कमी के कारण सभी सखी-सहेलियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका था ।

3.23.2.3 प्रशिक्षण किटों का उपार्जन

2013-14 के दौरान किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सखी-सहेलियों की दैनिक गतिविधियों हेतु 8042 आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रशिक्षण किट उपलब्ध करवाए जाने थे। इस उद्देश्य हेतु 2013-14 के दौरान ₹ 28.63 लाख उपलब्ध करवाये गये थे।

तथापि, यह देखा गया था कि 2013-14 के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति के लिए विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण किट खरीदा नहीं गया था । इससे 2013-14 के दौरान लाभार्थी अभिप्रेत सुविधाओं से वंचित रहे ।

तथ्यों को स्वीकारते हुए निदेशक, महिला एवं बाल विभाग ने बताया (जुलाई 2014) कि 2013-14 वर्ष के लिए उपार्जन हेतु निविदाएं फरवरी 2014 के दौरान आमंत्रित की गई थी तथा मई 2014 में आपूर्ति दी गई थी ।

3.23.2.4 किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के अंतर्गत राज्य स्तरीय समन्वयक समिति की अपर्याप्त बैठकें

किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के दिशा निर्देशानुसार, कार्यक्रम की उचित समीक्षा, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु समन्वयक समितियां खण्ड/परियोजना, जिला तथा राज्य स्तरों पर गठित की जानी अपेक्षित थी। समन्वयक समितियों की बैठकें खण्ड/परियोजना स्तर पर मासिक तथा जिला एवं राज्य स्तर पर त्रैमासिक रूप से आयोजित की जानी अपेक्षित थी।

यह देखने में आया था कि 2011-14 के दौरान राज्य स्तरीय समन्वयक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि 2011-14 के दौरान जिला स्तरीय समिति की अपेक्षित 48 बैठकों के प्रति मात्र 12 बैठकें (25 प्रतिशत) आयोजित की गई थी। इसी तरह, खण्ड/परियोजना स्तर पर 1152 बैठकों के प्रति मात्र 51 बैठकें (पांच प्रतिशत) आयोजित की गई थी। इसने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उच्च स्तरीय अपर्याप्त अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अनुवर्तन की कमी को दर्शाया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, निदेशक महिला एवं बाल विभाग ने बताया (जुलाई 2014) कि 2013-14 के दौरान लोक सभा चुनावों की तैयारी के कारण अपेक्षित बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सका था। सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने बताया (जून 2014) कि 2011-14 के दौरान स्टाफ की कमी के कारण बैठकों का आयोजन नहीं किया गया था।

3.23.3 बेटी है अनमोल योजना

बेटी है अनमोल योजना समय पूर्व विवाह को निरुत्साहित करने तथा स्कूलों में बालिकाओं के पंजीकरण में सुधार एवं संवर्धन की दृष्टि से प्रतिस्थापित की गई थी (जुलाई 2010)। इस स्कीम के अंतर्गत ₹ 5100 (जुलाई 2010 से मई 2012 तक प्रभावी) तथा ₹ 10,000 (जून 2012 से आगे) की दर पर जन्मोपरांत अनुदान तथा ₹ 300 तथा ₹ 1500 के मध्य वार्षिक छात्रवृत्ति गरीबी रेखा से नीचे की कक्षा प्रथम से 10+2 की स्कूल जाने वाली बालिकाओं को उपलब्ध करवानी थी। योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को एक परिवार में दो लड़कियों को दी जानी अनुमत्य थी।

3.23.3.1 लाभार्थियों का आच्छादन

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जन्मोपरांत अनुदान के अंतर्गत 2011-14 के दौरान पहचान किये गये 18,222 लाभार्थियों के प्रति 13,332 लाभार्थी आवृत्त किये गए थे तथा 4,890 लाभार्थी (27 प्रतिशत) अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। इसी तरह, 2011-14 के दौरान छात्रवृत्तियों के अंतर्गत पहचान किये गये 80,554 लाभार्थियों के प्रति 63,881 लाभार्थी आवृत्त किये गये जिसके परिणामस्वरूप 16,673 लाभार्थियों (21 प्रतिशत) की कमी हुई। अतः 2011-14 के दौरान विभाग द्वारा लाभार्थियों को आवृत्त करने में कमी थी।

निदेशक ने बताया (जुलाई 2014) कि सभी पहचान किये गए लाभार्थियों को निधियों की कमी के कारण सहायता नहीं दी जा सकी थी। यह दावा विश्वसनीय नहीं है क्योंकि विभाग को आवश्यकताओं के अनुसार निधियां उपलब्ध करवानी चाहिए थी।

3.23.4 मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना

राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना' के नाम से 6-18 वर्षों के मध्य की आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास की आवश्यकता हेतु एक एकीकृत स्कीम आरम्भ (सितम्बर 2006) की थी। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य में सात⁸⁷ बालिका आश्रम स्थापित किये गए थे। आश्रमों के सहवासियों को 10+2 के स्तर तक निशुल्क छात्रावास, आवासीय तथा शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी थी।

3.23.4.1 बालिका आश्रमों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी

दिशा निर्देशानुसार स्कीम के अंतर्गत चल रहे आश्रमों द्वारा पुस्तकालय, मनोरंजन एवं खेल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी थी।

87

चम्बा, दुर्गापुर, गरली, मशोबरा, कल्पा, सुन्नी तथा तिससा

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात बालिका आश्रमों में से चार⁸⁸ के पास पुस्तकालय सुविधा नहीं थी जबकि दो (गरली तथा सुन्नी) के पास खेल के मैदान नहीं थे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए निदेशक, महिला एवं बाल विकास ने बताया (जून 2014) कि गरली स्थित बालिका आश्रम में ऊपरवर्णित सुविधाएं अपर्याप्त स्थान के कारण उपलब्ध नहीं करवाई जा सकीं क्योंकि बालिका आश्रम निजी भवन में चल रहा था, जबकि अन्य बालिका आश्रम गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे थे। उत्तर विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि विभाग को बालिका आश्रमों में पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

3.23.4.2 अपर्याप्त जनशक्ति

मुख्यमंत्री बालिका उद्धार योजना दिशा निर्देशों के अनुसार बालिका आश्रमों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाना अपेक्षित था।

तथापि, यह देखने में आया था कि बालिका आश्रमों में पर्याप्त स्टाफ नहीं था क्योंकि जून 2014 तक सात बालिका आश्रमों में 63 कर्मियों⁸⁹ की संस्वीकृत पद संख्या के प्रति विभिन्न वर्गों के 19 पद⁹⁰ (30 प्रतिशत) रिक्त पड़े थे। इसके अतिरिक्त यह देखने में आया कि सात में से किसी भी बालिका आश्रम में सुरक्षा कर्मी का कोई भी पद संस्वीकृत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, 2012-14 के दौरान बालिका आश्रमों से नौ⁹¹ बालिकाएं (2012-13:छः तथा 2013-14:तीन) फरार हो गयी थी जिनमें से जून 2014 तक पांच लड़कियों का कुछ पता नहीं चला। इसने दर्शाया कि आश्रमों के कार्यों को प्रभावशाली तरीके से प्रबन्धित नहीं किया गया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए निदेशक महिला एवं बाल विभाग ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों के बाह्यस्रोत की अनुमति का मामला सरकार के साथ उठाया गया था (सितम्बर 2013), किन्तु जून 2014 तक सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी।

3.23.5 इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना

घटते लिंगानुपात से निपटने के लिए राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना प्रतिस्थापित (अक्टूबर 2006) की जिसके अन्तर्गत एक बालिका तथा दो बालिकाओं वाले परिवारों को क्रमशः ₹ 25,000 तथा ₹ 20,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जानी थी। लाभ उन दम्पतियों के लिए था जिन्होंने टर्मिनल परिवार नियोजन पद्धतियों का अनुसरण किया था।

विभाग ने 2011-14 के दौरान इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ₹ 3.36 करोड़ प्राप्त किए जिनके प्रति ₹ 2.72 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹ 0.64 करोड़ की अप्रयुक्त राशि सरकार को अभ्यर्पित कर दी गई थी।

3.23.5.1 लाभार्थियों का आच्छादन

यह देखने में आया कि निदेशालय स्तर पर लाभार्थियों के वास्तविक आच्छादन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में अभिलेखों को अनुरक्षित नहीं किया गया था। किसी भी अभिलेख की अनुपस्थिति में

⁸⁸ गरली, कल्पा, सुन्नी तथा तीसा

⁸⁹ अधीक्षक: सात; वार्डन: सात; कलर्क/सहायक: सात; कुक: सात; अनुचर: सात; आया: सात; सफाई कर्मी: सात; हस्तशिल्प अध्यापक: सात तथा हेल्पर: सात

⁹⁰ अधीक्षक: दो; वार्डन: एक; कलर्क/सहायक: चार; कुक: दो; अनुचर: तीन; आया: तीन; सफाई कर्मी: एक; हस्तशिल्प अध्यापक: एक तथा हेल्पर: दो

⁹¹ दुर्गापुर: दो; मशोबरा: पांच तथा सुन्नी:दो

सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में व्यय की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकती थी। तथापि यह प्रेक्षण किया गया कि 2011-14 के दौरान नमूना जांच किए गए तीन⁹² मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में पहचान किए गए सभी लाभार्थियों को हकदारी के अनुसार प्रोत्साहन भुगतान किए गए थे।

अतः 2011-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना एवं किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के अन्तर्गत 40 तथा 49 प्रतिशत के मध्य पहचान की गई बालिकाएं (11-18 वर्ष आयु) आवृत्त नहीं हुई। उपरोक्त अवधि के दौरान बेटी है अनमोल योजना में पहचान की गई 98,776 लाभार्थियों में से 77,213 आवृत्त की गई थी और इस तरह 21,563 अभिप्रेत लाभों से वंचित रही। मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना स्कीम के अन्तर्गत निर्मित बालिका आश्रमों में स्टाफ तथा मूलभूत अवसंरचना सुविधाओं की कमी थी।

लेखापरीक्षा परिणाम सरकार को अगस्त 2014 में संदर्भित कर दिए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

राम मोहन जौहरी
(राम मोहन जौहरी)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला:
दिनांक:

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा
(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली:
दिनांक: